न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज/एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो), देहरादून

उपस्थितः पंकज तोमऱ, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

निर्णय का दिनांक 30–01–2024

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः 100 सन् 2019

मु0अ0सं0–102/2018
अंतर्गत धारा–376, 354ए भा0दं0सं0
व धारा 3/4, 9/10,16/17/21 पोक्सो एक्ट
थाना राजपुर, देहरादून।

.....

परिवादी
राज्य की ओर से

उत्तराखण्ड राज्य
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
(फौ0) श्री किशोर कुमार।

बनाम

अभियुक्त संख्या 1

सुचित नारंग
पुत्र श्री अशोक नारंग
निवासी वासु स्टेट जाखन,
राजपुर, देहरादून।

अभियुक्ता संख्या 2

अनुसूया शर्मा
पत्नी श्री प्रवीण शर्मा
निवासी 63 इंजीनियर्स एन्कलेव जाखन,
राजपुर

अभियुक्तगण सुचित नारंग एंव अनुसुइया शर्मा के विद्वान अधिवक्तागण–श्री जी0सी0 शर्मा व श्री बलवन्त राय अग्रवाल व श्री विवेक जैन

Date of offence-	18-08-2018 से पूर्व
Date of FIR-	18-08-2018
Date of Chargesheet-	01-12-2018
Date of framing of charges-	16-08-2019
Statement of Accussed on Substance of accusation under section 251CRPC-	
Date of commencement of evidence-	13-12-2019
Date on which Judgement is reserved-	23-01-2024
Date of Judgement-	30-01-2024
Date of Sentencing order if any-	30-01-2024

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted of Convected	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC
1–	सुचित नारंग	25–09–2018	नहीं	धारा 376, 354ए भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4, 9/10 पोक्सो एक्ट	दोष सिद्ध	आदेश भाग में वर्णित है ।	आदेश भाग में वर्णित है ।
2–	अनुसूया शर्मा	14–12–2018	14–12–2018	धारा 19/21 पोक्सो एक्ट	दोष सिद्ध	आदेश भाग में वर्णित है ।	आदेश भाग में वर्णित है ।

निर्णय

दिनांकः 30–01–2024

अभियुक्तगण सुचित नारंग, अनुसूया, अनुराधा डालमिया, तेजी कौर व पूर्णिमा के विरूद्ध थाना राजपुर, जिला देहरादून द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 102/2018 धारा 376, 354ए भा0 दं0 सं0 व 3/4, 9/10,16/17/21 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, देहरादून द्वारा संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् माननीय सत्र न्यायाधीश, देहरादून के आदेश दिनांक 04–10–2019 द्वारा उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण को इस न्यायालय में विचारण हेतु स्थानान्तरित किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, देहरादून, कविता शर्मा द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून के मौखिक आदेश पर जांच उपरान्त थानाध्यक्ष, राजपुर, देहरादून को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–10 इस आशय की दी गयी कि, विषय–..... के अध्यापक सुचित नारंग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु–दिनांक 18–08–2018 को बाल कल्याण समिति, देहरादून के द्वारा ..... के छात्र छात्राओं के बयान दर्ज किये गये। संज्ञान में आया कि अध्यापक सुचित कुमार के द्वारा नाबालिग बालिकाओं के यौन अंगो के साथ छेडछाड की जाती है और शोषण किया जा रहा है। अतः उक्त का सन्र्दभ लेते हुए अध्यापक सुचित नारंग

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उक्त बच्चों की सुरक्षा हेतु उचित कार्यवाही करें।

3– उक्त तहरीर प्रदर्श क–10 के आधार पर थाना राजपुर, देहरादून में मुकदमा अपराध संख्या 102/2018 अन्तर्गत धारा 354क भा0दं0सं0 व 10/9 पोक्सो एक्ट के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। कायमी मुकदमें का इन्द्राज सामान्य दैनिकी में किया गया।

4– मामलें की विवेचना एस. आई. विनयता चौहान द्वारा की गई। दौराने विवेचना विवेचक ने बयानात गवाहान लिये तथा पीड़िताओं के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता अंकित कराये गये। घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा नजरी बनाया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण तेजी कौर, सुचित नारंग, अनुसूया शर्मा,अनुराधा डालमिया व सुश्री पूर्णिमा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक द्वारा धारा 376,354ए भा0 दं0 सं0 व 3/4, 9/10,16/17/21 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश, पोक्सो, देहरादून के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, देहरादून द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रर्कीण वाद 2040/2018 अन्तर्गत धारा 482 सीआरपीसी में पारित आदेश दिनांक 02–05–2019 से अभियुक्ता अनुराधा डालमिया के विरूद्ध प्रस्तुत विचारण की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी ।

6– उक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 13–08–2019 द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती अनुसूया शर्मा व सुचित नारंग की पत्रावली पृथक की गयी तथा समस्त मूल दस्तावेज अभियुक्ता श्रीमती अनुसूया शर्मा व अभियुक्त सुचित नारंग की पत्रावली में रखे जाने का आदेश पारित किया गया ।

7– तत्पश्चात्, उक्त न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष व अभियुक्तगण श्रीमती अनुसूइया शर्मा व सुचित नारंग को सुनने के पश्चात् आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार पाते हुए दिनांक 16–08–2019 को अभियुक्ता श्रीमती अनुसूइया शर्मा के विरूद्ध 19/21 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम, 2012 का आरोप तथा अभियुक्त सुचित नारंग के विरूद्ध धारा 376,354क भा0दं0सं0 व धारा 4 व धारा 10 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने घटना से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

8– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

Rank	**Name**	**Nature of Evidence**
पी0डब्लू0–1	आरोप पत्र में क्रम संख्या 25 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–2	आरोप पत्र में क्रम संख्या 11 पर वर्णित साक्षी/पीडिता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	आरोप पत्र में क्रम संख्या 10 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–4	आरोप पत्र में क्रम संख्या 4 पर वर्णित साक्षी/पीडिता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–5	आरोप पत्र में क्रम संख्या 12 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–6	आरोप पत्र में क्रम संख्या 6 पर वर्णित साक्षी/पीडिता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–7	पीडिता की मेडिकलकर्ता डा0 प्रियंका	मेडिकल साक्षी
पी0डब्लू0–8	पूर्व अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति कविता शर्मा	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–9	कां0 80 मोहन सिंह	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–10	आरोप पत्र में क्रम संख्या 2 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–11	आरोप पत्र में क्रम संख्या 3 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–12	आरोप पत्र में क्रम संख्या 5 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–13	अमित कुमार शर्मा	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–14	कमलवीर सिंह जग्गी	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–15	धर्मेन्द्र सिंह	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–16	शशि कला	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–17	आशा	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–18	आरोप पत्र में क्रम संख्या 8 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–19	आरोप पत्र में क्रम संख्या 24 पर वर्णित साक्षी	अन्य साक्षी

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

पी0डब्लू0–20	एस0आई0 आरती कलूडा	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–21	एस0आई0 विनयता चौहान	पुलिस साक्षी

9– बचावपक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया ।

Rank	Name	Nature of Evidence
डी0डब्लू0–1	स्वयं अभियुक्त सुचित नारंग	बचाव साक्षी
डी0डब्लू0–1	सुमित नारंग	बचाव साक्षी

10– अभियुक्त सुचित नारंग की ओर से अपने बचाव में सूंची 191ख से प्रपत्र 191ख/4 लगायत 191ख/64 व सूंची 171क से 171क/2 लगायत 171क/7 व सूंची 175ख से प्रपत्र 176ख/1 लगायत 176/44 दाखिल किये गये ।

11– न्यायालय साक्षी के रूप में पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो को परीक्षित कराया गया ।

Rank	Name	Nature of Evidence
सी0डब्लू0–1	पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो	पीडिताओं की जन्म् तिथि से सम्बन्धित साक्षी

12– उक्त अभियोजन साक्षीगणों द्वारा निम्नलिखित अभियोजन दस्तावेजों व वस्तुओं को साबित किया गयाः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1/पी0डब्लू0 1	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
2.	प्रदर्श क–2/पी0डब्लू0 7	मेडिकल रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क–3/पी0डब्लू0 7	सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट
4.	प्रदर्श क–4/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
5.	प्रदर्श क–5/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
6.	प्रदर्श क–6/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
7.	प्रदर्श क–7/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
8.	प्रदर्श क–8/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
9.	प्रदर्श क–9/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
10.	प्रदर्श क–10/पी0डब्लू0 8	तहरीर
11.	प्रदर्श क–11/पी0डब्लू0 9	चिक एफ0आई0आर0
12.	प्रदर्श क–12/पी0डब्लू0 9	मुकद्मा कायमी जी0डी0
13.	प्रदर्श क–13/पी0डब्लू0 10	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
14.	प्रदर्श क–14/पी0डब्लू0 11	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
15.	प्रदर्श क–15/पी0डब्लू0 12	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

16.	प्रदर्श क–16 / पी0डब्लू0 16	रजिस्टर की छायाप्रति
17.	प्रदर्श पी–17 / पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित कराने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
18.	प्रदर्श पी–18 / पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित कराने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
19.	प्रदर्श पी–19 / पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानो का अवलोकन करने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
20.	प्रदर्श पी–20 / पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानो का अवलोकन करने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
21.	प्रदर्श पी–21 / पी0डब्लू0 21	नक्शा नजरी
22.	प्रदर्श पी–22 / पी0डब्लू0 21	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र
23.	प्रदर्श पी–23 / पी0डब्लू0 21	फर्द बावत कब्जे लेने डिजिटल वीडियो रिकार्डर
24.	प्रदर्श पी–24 / पी0डब्लू0 21	एस.सी.आर.बी. / डी.सी.आर.बी. को प्रेषित पत्र
25.	प्रदर्श पी–25 / पी0डब्लू0 21	प्रमाणत्र
26.	प्रदर्श पी–26 / पी0डब्लू0 21	फर्द कब्जे लेने सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर की हार्डडिस्क
27.	प्रदर्श पी–27 / पी0डब्लू0 21	आरोप पत्र

13– न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रदर्श को न्यायालय साक्षी सी0 डब्लू0–1 द्वारा साबित किया गया ।

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श सी–1 / सी0डब्लू0 1	पीडिताओं के स्कूल के निदेशक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र
2.	प्रदर्श सी–2 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 के जन्म् प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
3.	प्रदर्श सी–3 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 की कक्षा 10वीं की मार्क्सीट की प्रमाणित प्रति
4.	प्रदर्श सी–4 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति
5.	प्रदर्श सी–5 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 25 के जन्म् प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
6.	प्रदर्श सी–6 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 25 की कक्षा 10वीं की मार्क्सीट की प्रमाणित प्रति
7.	प्रदर्श सी–7 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 24 के जन्म् प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
8.	प्रदर्श सी–8 / सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 24 की कक्षा 10वीं की मार्क्सीट की प्रमाणित प्रति

14– बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया गया।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी–1/डी0डब्लू0 1	अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को लिखा गया प्रार्थनापत्र दिनांक 25–05–2018
2.	प्रदर्श डी–2/डी0डब्लू0 1	अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा गया प्रार्थनापत्र दिनांक 17–08–2018

15– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण सुचित नारंग व श्रीमती अनुसूया के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोपों से इन्कार कर उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलने एवं स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया ।

16– अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा कथन किया गया कि गवाहों ने गलत बयानी की है एंव मैं लिखित कथन देना चाहता हूं एंव उसके द्वारा लिखित में कथन किया गया कि मैं ..... में पिछले 15वर्षों से अपनी सेवायें दे रहा हूं एंव वर्ष 2014 के माह दिसम्बर में ..... विद्यालय में स्थायी अध्यापक नियुक्त हुआ । मैंने ..... विद्यालय में नियुक्ति के पश्चात् शुरू के कुछ वर्षों तक कम्पयूटर्स की क्लासेज ली एंव बाद में म्यूजिक व कम्पप्यूटर्स दोनों की ली । अप्रैल 2018 में मुझे कुछ सीनियर छात्रों ने अवगत कराया कि जूनियर छात्र के साथ अध्यापक रमेश कश्यप द्वारा यौन दुराचार किया है तत्पश्चात् एक पीडित ने मुझको स्वयं इस सम्बन्ध में बताया । पीडिता द्वारा कथित यौन दुराचार के कथन की मैंने अपने मोबाइल पर ऑडियो रिकार्डिंग की एंव प्रशासन को इससे अवगत कराया । इस घटना के समय अध्यापक रमेश कश्यप ..... की यूनियन के पदाधिकारी थी एंव मैं कभी भी इस यूनियन का सदस्य नहीं था। इस घटना के पश्चात् कुछ अध्यापकों ने मुझको इस प्रकरण को दबाने हेतु कहा। हैरानी इस बात की है के जिन सीनियर बच्चों ने मुझको पूर्व में इस यौन दुराचार के प्रकरण से अवगत करा मदद मांगी गयी उन्हीं में से कुछ जैसे कि .... और .... ने मुझसे यह बोला कि वे नहीं चाहते के यह बात आगे बढे और उनको गवाह बनाया जाए । उन्होंने कहा कि अगर वे गवाही देंगे तो रमेश सर व अन्य लोग

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

उनके मार्कस व करियर खराब कर देंगे । मेरे द्वारा उन अध्यापको एंव छात्रों का कहा ना मानने पर वे सब मेरे से नाराज हुए एंव मेरे से बातचीत बन्द कर दी। यहां तक कि कुछ अध्यापकों ने प्रधानाचार्य को यह तक कह दिया कि वो मुझको समझा दें कि मैं उन अध्यापकों से बात करने का प्रयास ना करूं। इसके बाद ..... विद्यालय की, अध्यापक रमेश के प्रकरण में आंतरिक जांच में मेरी गवाही हुई जिसमें मैंने उनके विरूद्ध जो भी मुझे पीडित द्वारा बताया गया वह सब बता दिया। इसमें अध्यापक रमेश कश्यप का साथ देने वालों ने विसंगति लाने का प्रयास भी किया। जांच में अध्यापक रमेश कश्यप दोषी पाये गये। इसके पश्चात् मुझे व कथित दो सीनियर छात्रों को रमेश कश्यप प्रकरण में गवाही हेतु अध्यापक अमित शर्मा के साथ थाने भी भेजा गया। इन सब घटना क्रम की जानकारी मेरे द्वारा समय–समय पर..... प्रशासन एंव एसएसपी महोदय को मौखिक व लिखित रूप से दी गयी।

17– अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा आगे अपने धारा 313 सीआरपीसी के बयान में यह भी कथन किया गया कि आगे चलकर एक जुलाई 2018 के चौथे सप्ताह में दोपहर को लगभग 12.50 पर मैं हाउस प्रैक्टिस करवाने हेतु कुछ छात्राओं की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक मुख्य पीडिता ने आकर मुझको रोते–रोत बताया कि उस पर कुछ अन्य छात्रायें दबाव बना रहीं हैं कि वो मेरे खिलाफ कुछ गलत बोले । वो कुछ अन्य छात्राओं से बहुत डरी हुई थी। जब वह मुझको यह सब बता रही थी तो किसी ने बाहर से दरवाजा का कुन्डा लगा दिया और फिर मेरे खटखटाने पर थोडी देर बाद खोल भी दिया । यह भी मेरे संज्ञान में आया कि मुख्य पीडिता को सीनियर छात्र–छात्राओं द्वारा निरन्तर अपनी निगरानी में रखा जा रहा है एंव रात्रि में सीनियर छात्रायें उसे उसकी कक्षा की छात्राओं से पृथक कर अपने साथ सुला रही हैं । यह भी संज्ञान में आया कि एक सीनियर छात्रों के गुट द्वारा अन्य छात्रों में यह बात भी फेलाई जा रही है कि मैनें अपनी नौकरी स्थायी करने के लिये अध्यापक रमेश को साजिश कर जेल भिजवाया है जो कि बिल्कुल असत्य थी। अगस्त के मध्य में कथित सीनियर छात्रों में से एक .... के गार्जियन द्वारा विद्यालय आकर अन्य छात्रों के साथ दो तीन बार मीटिंग की और तत्पश्चात् सभी छात्रों ने आन्दोलन शुरू कर दिया। आन्दोलन में मीडिया को बुलाकर गलत आधारों पर अतिश्योक्ति

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

स्वरूप प्रस्तुत किया । छात्रों को सीनियर छात्रों एंव अन्य बाहरी तत्वों ने सुनियोजित तरीकों से ह्वाट्सएप के संदेशों के द्वारा भी अन्चित प्रभाव डाला।

18– अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा आगे अपने धारा 313 सीआरपीसी के बयान में यह भी कथन किया गया कि मेरे उपर छात्रों द्वारा जिनमें एक पीडिता .... की बहन एंव एक रमेश कश्यप जी की भांजी भी शामिल थी, ने यौन दुराचार के गलत आरोप लगा दिये । मेरे उपर 18अगस्त 2018 को एफ0आई0आर0 हो गयी जिसकी क्वाशिंग हेतु माननीय उच्च न्यायालय में 23अगस्त 2018 में याचिका दायर की गयी । इस याचिका में मेरे द्वारा पुलिस एंव ..... प्रशासन को पूर्व में लिखे गये पत्रों को संलग्न किया गया। पुलिस आई0 ओ0 द्वारा इस दौरान जब एक बार शुरूआत में मेरे घर पर दबिश देने आई तो मेरे घरवालों ने उनको सारी बातें बताई और यह कहा कि मैं न्याय हेतु माननीय उच्च न्यायालय गया हुआ हूं एंव अगर मेरी याचिका अस्वीकार हुई तो मैं स्वयं आत्मसमर्पण कर दूंगा । तब आई0ओ0 ने सांन्तवना देते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीडिताओं ने एक गुट बना रखा है और मुख्य पीडिता सीनियर लडकियों के दबाव में प्रतीत हो रही है और वह बात–बात पर रोने लगती है। अभी तक तो मैंने उसके बयान एक बार सब के साथ लिये हैं और अब मैं उसके बयान इत्मीनान से उसको पहले गुट से अलग करके लूंगी क्योंकि सब पीडितायें एक दूसरे को सिखा रही हैं। इस प्रकरण में वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारी श्री के0 वी0 एस0 राव द्वारा एंव माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश पर आई0 एस0 श्री सैंथिल पांडियन द्वारा भी जांच कर रिपोर्ट दी गयी । इस रिपोर्ट में सैथिल साहब द्वारा लिखा गया कि जब उन्होंने मुख्य पीडिता से बात करनी चाही तो दो छात्र उसको अलग ले गये । पुलिस आई0 ओ0 द्वारा भी प्रकरण को बिना पूर्णतः समझे एंव मेरे पूर्व में लिखे गये पत्रों को नकारते हुए केवल मीडिया एंव असत्य बयानों के आधार पर बिना गहन विवेचना करे आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। मैं निर्दोष हूं ।

19– अभियुक्ता अनुसूइया शर्मा द्वारा कथन किया गया कि बाल अपराध से सम्बन्धित मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई एंव मैं घटना क्रम के समय वाईस प्रिसिंपल नहीं थी । यह भी कहा कि जब बच्चे धरने पर बैठे तो पहले उनकी 10 मांगे थीं बाद में 29 मांग हो गयी थी विवेचना निष्पक्ष रूप से नहीं

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

की गयी एंव मैं लिखित में देना चाहती हूं एंव उसके द्वारा लिखित में कथन किया गया कि मैं 18–06–2018 को ..... विद्यालय की वाईस प्रिसिंपल बनी थी एंव दिनांक 30–09–2018 को सेवानिवृत हो गयी थी। मैं रमेश कश्यप वाले प्रकरण में विद्यालय की इण्टरनल जांच में रमेश कश्यप के विरूद्ध बयान दिये थे। मैंने धर्मेन्द्र सिंह राठौर के विरूद्ध शिकायत की थी कि वह पूर्ण दृष्टिबाधित नहीं हैं जब कि उन्होनें संस्थान में पूर्ण दृष्टिबाधित का प्रमाणपत्र दिया था और उनके व मेरे बीच प्रमोशन को लेकर वाद चल रहा था। मैनें 33वर्षों तक पूर्ण इमानदारी व निष्ठा से बच्चों को पढाया और आज तक किसी ने मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं की। मेरी वार्षिक सी0आर0 हमेशा उत्तम रही। विद्यालय में बच्चों के अभिभावक व टीचर्स मीटिंग लगातार होती थी जिसमें किसी भी अभिभावक व बच्चों ने कोई शिकायत नहीं की । विद्यालय में पोक्सो से सम्बन्धित अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गयी जिसमें सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को जानकारी दी गयी व जागरूक किया गया। मुझे आज तक किसी भी छात्रा द्वारा कभी कोई पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं की गयी । स्कूल में जो मेरे विरूद्ध विभागीय जांच हुई थी उसमें भी मुझे निर्दोष माना गया है ।

20– न्यायालय द्वारा न्यायालय साक्षी के रूप में पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो को बतौर सी0डब्लू0–1 न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

21– अभियुक्तगण सुचित नारंग व अभियुक्ता श्रीमती अनुसुइया शर्मा के अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोपों से इन्कार कर उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलने एवं स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा कथन किया गया कि मैं निर्दोष हूं । मैंने किसी भी बालिका का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया। मैंनें रमेश कश्यप के विरूद्ध यौन हिंसा की शिकायत विद्यालय प्रशासन को की थी जिस पर मुकद्मा पंजीकृत हुआ और रमेश कश्यप जेल में रहा। मैंने रमेश कश्यप के विरूद्ध चले वाद की फोटो कॉपी दाखिल की है। रमेश कश्यप द्वारा पीडिताओं को मोटीवेट कर अपनी रिश्तेदार को भी न्यायालय में पेश किया। अभियुक्ता अनुसूइया शर्मा द्वारा कथन किया गया कि मैं निर्दोष हूं। मुझे झूंठा

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

फंसाया गया है। किसी भी छात्र–छात्रा द्वारा मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने धर्मेन्द्र के विरूद्ध शिकायत की थी और इन्टरनल इंक्वायरी में रमेश कश्यप के विरूद्ध बयान दिये थे। इसलिये मुझे झूंठा फंसाया गया।

22– अभियुक्त सुचित नारंग की ओर से बचाव साक्ष्य में स्वयं को बतौर डी0डब्लू0–1 व अपने भाई सुमित नारंग को बतौर डी0डब्लू0–2 परीक्षित कराया गया ।

23– न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

24– अभियुक्त सुचित नारंग पर आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 18–08–2018 से पूर्व किसी समय, स्थान ..... बी0 एच0, राजपुर रोड, देहरादून, अन्तर्गत थाना राजपुर जिला देहरादून में नाबालिग पीडिताओं का व्यपहरण कर उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार कारित किया एंव पीडिताओं के साथ छेडछाड कर अभद्र व्यवहार किया एंव पीडिताओं के साथ जबरन बलात्संग कर उनके उपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया एंव नाबालिग पीडिताओं के साथ अश्लील छेडखानी कर उनके ऊपर गुरूत्तर लैंगिक हमला किया। इस प्रकार अभियुक्त सुचित नांरग पर धारा 376,354क भा0दं0सं0 व धारा 4 व धारा 10 पोक्सो अधिनियम का आरोप है ।

25– अभियुक्ता अनुसूइया शर्मा पर आरोप है कि अभियुक्ता ने दिनांक 18–08–2018 से पूर्व किसी समय, स्थान ..... बी0 एच0 राजपुर रोड, देहरादून अन्तर्गत थाना राजपुर, जिला देहरादून में उक्त संस्थान में वाईस प्रिंसिपल कार्यरत होते हुए भी उसके द्वारा बालकों के प्रति हो रहे अपराध के सन्र्दभ में न तो प्रिंसिपल को सूचना दी गयी न ही पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गयी। इस प्रकार अभियुक्त अनुसूइया शर्मा पर धारा 19/21 पोक्सो अधिनियम का आरोप है ।

26– प्रस्तुत विचारण में विचारणीय तथ्य यही है कि जहां पर 10–12 पीडितायें जो कि अलग–अलग कक्षाओं की छात्रायें हैं एंव जो आपस में सहेलियां भी नहीं हैं तो क्या वह रमेश कश्यप व अन्य के साथ आपराधिक

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

षडयन्त्र रचकर अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठी गवाही दे सकते है। न्यायालय के मत में ऐसा सम्भव नहीं है ।

27– अभियुक्तगण सुचित नारंग व अभियुक्त अनुसूइया शर्मा पर लगे उक्त आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0–1 आरोप पत्र में क्रम संख्या 25 पर वर्णित साक्षी/ पीड़िता, पी0 डब्लू0–2 आरोप पत्र में क्रम संख्या 11 पर वर्णित साक्षी/ पीडिता, पी0 डब्लू0–3 आरोप पत्र में क्रम संख्या 10 पर वर्णित साक्षी/ पीड़िता, पी0 डब्लू0–4 आरोप पत्र में क्रम संख्या 4 पर वर्णित साक्षी/ पीडिता, पी0 डब्लू0–5 आरोप पत्र में क्रम संख्या 12 पर वर्णित साक्षी/ पीड़िता, पी0 डब्लू0–6आरोप पत्र में क्रम संख्या 6 पर वर्णित साक्षी/पीडिता, पी0 डब्लू0–6 आरोप पत्र में क्रम संख्या 6 पर वर्णित साक्षी/ पीडिता, पी0डब्लू0–7 पीडिता की मेडिकलकर्ता डा0 प्रियंका, पी0डब्लू0–8 पूर्व अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति कविता शर्मा, पी0 डब्लू0–9 कां0 80 मोहन सिंह, पी0 डब्लू0–10 आरोप पत्र में क्रम संख्या 2 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता, पी0 डब्लू0–11 आरोप पत्र में क्रम संख्या 3 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता, पी0 डब्लू0–12 आरोप पत्र में क्रम संख्या 5 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता, पी0 डब्लू0–13 अमित कुमार शर्मा, पी0 डब्लू0–14 कमलवीर सिंह जग्गी, पी0 डब्लू0–15 धर्मेन्द्र सिंह, पी0 डब्लू0–16 शशि कला, पी0 डब्लू0–17 आशा, पी0 डब्लू0–18 आरोप पत्र में क्रम संख्या 8 पर वर्णित साक्षी/पीड़िता, पी0 डब्लू0–19 आरोप पत्र में क्रम संख्या 24 पर वर्णित साक्षी,पी0डब्लू0–20 एस0 आई0 आरती कलूडा, पी0डब्लू0–21 एस0 आई0 विनयता चौहान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

28– पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो को बतौर सी0डब्लू0–1 न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

29– प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति देहरादून एक कविता शर्मा द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून के मौखिक आदेश पर थानाध्यक्ष, राजपुर, देहरादून को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–10 इस आशय की दी गयी कि, विषय–..... के अध्यापक सुचित नारंग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु–दिनांक 18–08–2018 को बाल कल्याण समिति देहरादून के द्वारा ..... के छात्र छात्राओं के बयान दर्ज किये

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

गये । संज्ञान में आया कि अध्यापक सचित कुमार के द्वारा नाबालिग बालिकाओं के यौन अंगो के साथ छेडछाड की जाती है और शोषण किया जा रहा है । अतः उक्त का सन्र्दभ लेते हुए अध्यापक सुचित नारंग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उक्त बच्चों की सुरक्षा हेतु उचित कार्यवाही करें।

30– पी0 डब्लू0–1 पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श क–1 दिनांक 20–08–2018 को अंकित किया गया जिसमें पीडिता ने कथन किया कि हमारे स्कूल में एक टीचर सुचित सर हैं वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे । वो मुझे लंच में अपने कमरे पर बुलाते थे और **जब मैं उनके कमरे पर जाती थी तो वो मुझे गन्दे तरीके से छूते थे और अपनी गोद में बिठा कर मेरे Private Part (योनि) में अंगुली डालते थे** जिस दिन मैं उनके बुलाने पर नहीं जाती थी तो वो मुझे डांटते थे। वो मुझसे कहते थे कि जब तुम 20साल की हो जाओगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा । **वो मुझे उपर वाले Body Part Chest पर भी छूते थे ।** मैंने कई बार उनका हांथ हटाने की कोशिश की तब भी वो जबरदस्ती करते थे । जब क्लास में हमारी कोई गलती होती थी तो वो हमें पहले हांथो पर सहलाते थे और फिर गर्दन पर Pinch करते थे । **वो मेरे कपडे उपर करके गुदगुदी भी करते थे ।** मैंने जब स्कूल में अनुसूया मैम को सुचित सर की शिकायत की तो उन्होंने हमें कहा कि वो सर को समझा देगी । मगर वो सर से कुछ नहीं कहती थी । वो सर मुझसे कहते थे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो । तुम मेरी गोदी में सो जाओ । मैं तुम्हें कहीं भी टच कर सकता हूं । **सर ने एक बार मेरे हांथ पर और एक दो बार मेरे गाल पर Kiss किया था।** एक दिन दो बच्चों ने मुझे सर के कमरे में देखा तो सर ने मुझसे कहा कि अगर मैडम पूंछे तो कहना कि कुछ पूंछने गयी थी सर के पास ।

31– पी0 डब्लू0–10 पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श क–13 दिनांक 20–08–2018 को अंकित किया गया जिसमें पीडिता ने कथन किया कि जब मैं 9th Class में थी तब एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था । मैं Computer Class में थी उस वक्त। Computer Class सुचित सर पढा रहे थे । मैंने सर से कहा कि सर मैं दवा लेने जाउं तो **सर ने पहले मेरा हांथ पकडा फिर कहा कि मुझे पता है तुम्हे क्या हुआ है । उन्होंने यह बात**

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

Double Meaning में कही थी । यह बात उन्होंने सारी Class के बच्चो के सामने कही थी । सुचित सर क्लास में अक्सर किसी न किसी बहाने से लडकियों को छूने की कोशिश करते थे । कभी कन्धों से छूते थे तो कभी हांथ पकड लेते थे । वो हमें Music भी पढाते थे । **एक दिन Music की Class में सर ने की कि एक लडकी मेरे सामने पैर खोलकर बैठी थी तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पैरों के बीच में घुस जाउं । सर क्लास में गन्दी–गन्दी बातें करते रहते थे ।** एक बार वो हमें बता रहे थे कि एक लडका लडकी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उपर से वो बातें करते हैं लेकिन टेबिल के नीचे से गन्दी गन्दी हरकतें कर रहे होते हैं । हमने अनुसूया मैडम से शिकायत की तो मैडम से कहा कि सर गन्दी–गन्दी बातें करते हैं । इस पर मैडम ने कहा कि वो सर को समझा देंगी । मगर सर फिर भी गन्दी गन्दी बातें करते रहते थे ।

32– पी0 डब्लू0–11 पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श क–14 दिनांक 20–08–2018 को अंकित किया गया जिसमें पीडिता ने कथन किया कि जब मैं 9th Class में थी उस वक्त सुचित सर मुझे Computer पढाते थे । एक दिन मैं Computer lab में थी तो **सुचित सर ने मुझे पहल कन्धों पर से बहुत Tight तरीके से पकडा फिर मेरी गर्दन से कमर तक मेरी पीठ को अपने हांथों से सहलाया फिर मेरी पीठ पर 5–7 मुक्के तेजी से मारे।** वो कभी लडकों को भी इतना नहीं मारते थे जितना उस दिन उन्होंने मुझे मारा। मैंने इस बात की शिकायत अनुसूया मैडम से की तो मैडम ने कहा कि वो सुचित सर का समझा देंगी वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे ।

33– पी0 डब्लू0–12 पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श क–15 दिनांक 20–08–2018 को अंकित किया गया जिसमें पीडिता ने कथन किया कि जब मैं 11वीं Class में थी । उस वक्त मुझे M C (पीरियड) हो रही थी । मुझे दर्द हो रहा था । उस वक्त सुचित सर की Class थी । मैंने सर से कहा कि सर मुझे दवा लेने हॉस्टल जाना है । तब से पूंछा क्या हुआ । मैनें कहा सर थोडी तबियत खराब है दवा लेनी है । **सर ने मेरा हांथ पकडकर कहा कि मुझे पता है तुम्हें M C हो रही है । इसलिये हॉस्टल दवा लेने जाना है । सर Class में भी लडकियों को जबरदस्ती छूने की**

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

कोशिश करते थे । Class में गन्दी गन्दी बातें करते थे । एक दिन Class में कहने लगे कि एक दिन एक Student टांग खोलकर Class में बैठी थी तो मैंने उससे कहा कि मैं तेरे टांगों के बीच में घुस जाउं। वो Class में अक्सर गन्दी गन्दी बातें करते थे । हमने अनुसूया मैडम से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वो सर को समझा देंगी । मगर सर फिर भी गन्दी हरकतें करते रहते थे ।

34– आरोप पत्र में कम संख्या 25 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–1 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि मैं बिल्कुल देख नहीं सकती हूं। अब मैं कक्षा 8 में पढती हूं । यह घटना 2016 से हो रही है। मेरे स्कूल में एक टीचर सुमित नांरग थे जो लंच में मुझे अपने कमरे में बुलाते थे वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे, **मुझे गोद में बिठाकर कभी मेरे लोअर पार्ट को कभी अपर पार्ट को टच करते थे। उन्होंने मेरे प्राईवेट पार्ट पर उंगली डाली थी।** वो कहते थे कि तुम 20 साल की बडी हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा । **वे मेरे कपडे उठाकर गुदगुदी करते थे ।** वो बोलते थे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो तुम मेरी गोद में सो जाओ। मैं तुम्हें कही पर टच कर सकता हूं । जब क्लास में कोई गलती होती थी सर मेरे हांथ को अजीब तरह से टच करते थे फिर पिंच करते थे । **सर ने एक बार मेरे हांथ पर और दो बार गाल में किस किया ।** मेरा डाक्टर ने मेडिकल भी किया था । मेरे पुलिस व कोर्ट में एक बार बयान हुए थे । पीडिता के आंख से देख न पाने के कारण पीडिता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान पढ कर सुनाये गये तो पीडिता ने कहा कि मैंने यही बयान दिये थे । उक्त बयान पर प्रदर्श क–1 डाला गया । घटना के समय मैं 5वीं क्लास में थी ।

35– आरोप पत्र में कम संख्या 11 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–2 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूं । मैं थोड़ा–थोड़ा देख पाती हूं । घटना जनवरी–फरवरी 2018 की है। घटना हमारे स्कूल की है। **मैं सुचित नारंग सर के रूम के बाहर खड़ी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचकर रूम के अन्दर ले गये। अभियुक्त सुचित नारंग मेरा फ्रॉक उठाकर मुझे गुदगुदी करने लगे। फिर मैं उनसे हाथ छुड़ाकर भाग गई।**

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

अनसुया शर्मा मैडम को इस बात की शिकायत की।

36– आरोप पत्र में क्रम संख्या 10 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–3 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं कक्षा चार में पढ़ती हूं। मैं थोड़ा बहुत देख पाती हूं। मेरी उम्र 9 वर्ष है। मैं 2015 से .....विद्यालय में पढ़ रही हूं। मैं घटना के समय कक्षा प्रथम में थी। **जब मैं सुचित सर के रूम में गई पहले सुचित सर ने कुछ नहीं किया फिर मेरी फ्रॉक उठाकर मुझे गुदगुदी की।** मैं इस घटना की सूचना पहले किसी को नहीं दी सीधा पुलिस मैडम को ही बताया था।

37– आरोप पत्र में क्रम संख्या 4 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–4 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूं। मेरी उम्र 17 वर्ष है। थोड़ा बहुत देख पाती हूं। घटना 31 मार्च 2017 की है। हम लोग घूमने के लिए हिमालयन इन्स्टीट्यूट जा रहे थे, जब हमारे पेपर खत्म हो गए थे। मैं सुचित सर के पास बैठी थी। **तभी सुचित सर ने मेरी बांई जांघ पर बहुत जोर से पिंच किया तो मैंने उनको मना किया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा प्यार है।** मैं डायरेक्टर मैडम का भाई हूं इसलिए कुछ नहीं होगा। हम लड़कियां ग्रुप में अनुसुया मैडम के पास सुचित सर की शिकायत करने जाते थे, परन्तु मैडम कुछ नहीं करती थी। मेरे इस मुकदमें के सम्बन्ध में कई बार बयान लिए गए। एक बार मैंने बयान पर अंगूठा भी लगाया था।

38– आरोप पत्र में क्रम संख्या 12 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–5 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अभी मैं कक्षा–9 में पढ़ती हूं। मैं ठीक–ठाक देख पाती हूं। मैं 2010 से इस विद्यालय..... में पढ़ रहीं हूं। जबकि घटना है उस समय मैं चौथी क्लास में थी। उस दिन सुचित नांरग सर का पीरियड था। उस समय क्लास में सुचित सर सब बच्चों का गाना सुन रहे थे। मैने भी क्लास में गाना सुनाया। **फिर सुचित सर ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में किस किया। मैं हाथ छुड़ाकर चली गयी।** मैंने घटना की जानकारी वाइस प्रिन्सिपल डॉ0 अनुसूईया शर्मा को बतायी थी। इस घटना से मैं काफी डर गयी थी।

39– आरोप पत्र में क्रम संख्या 6 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–6 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं इस समय कक्षा 12वीं में पढ़ती

Scanned with OKEN Scanner

हूं। मैं इस विद्यालय..... में 2008 से पढ़ रहीं हूं। मैं पूर्णतः नेत्रहीन हूं। मैं, ..., ..., ... के साथ सुचित सर द्वारा कारित गलत हरकत के बारे में पता चला तब हम लंच के समय अनुसूइया मैडम को शिकायत करने गये थे तथा मैडम ने यह कहा था कि मैं सुचित सर को समझा दूंगी।

40– पी0डब्लू0–7 पीडिता की मेडिकलकर्ता डाक्टर प्रियंका द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 15–09–2018 को मैं उक्त पद पर तैनात थी उस दिन पीडिता उम्र 13 वर्ष को महिला कां0 358 कुमुद बिष्ट थाना राजपुर परीक्षण हेतु लेकर आये थे। जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। पीडिता के साथ उसके विद्यालय की अध्यापिका.....आयीं थी जिसके हस्ताक्षर मेडिकल पर करवाये थे। पीडिता के भी मेडिकल पर अंगूठा निशानी लिये थे जिसे गवाह ने मेडिकल पर पहचाने जिसे लाल घेरे से ए चिन्ह से चिन्हित किया गया। पीडिता पूर्ण होशोहवाश में थी। पीडिता दृष्टिहीन थी। पीडिता ने बताया था कि वह अपने विद्यालय में 2011 से रह रही थी । उसने उस पर लैंगिक हमला वर्ष 2016 से होना बताया। **पीडिता द्वारा उंगली डालने के बारे में बताया गया। पीडिता द्वारा यह भी बताया गया कि अभियुक्त सुचित नारंग उसके विद्यालय में अध्यापक है जो उसे लंच ब्रेक में बुलाता था व उस पर लैंगिक हमला करता था।** पीडिता ने यह भी बताया कि उसने अपने टीचरों को घटना के बारे में बताया परन्तु उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की। पीडिता द्वारा अंतिम घटना जुलाई 2018 की बतायी गयी।

41– पी0डब्लू0–7 पीडिता की मेडिकलकर्ता डाक्टर प्रियंका द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया गया है किपीडिता के वाह्य परीक्षण में कोई चोंट के निशान नहीं पाये गये तथा आन्तरिक परीक्षण में किसी चोंट के निशान नहीं पाये गये न ब्लीडिंग पायी गयी तथा हाईमन टॉर्न था परन्तु सूजन आदि नहीं थी। मेरे द्वारा पीडिता के वैजाइनल स्मेयर की स्लाईड ली गई। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्द्ध कागज संख्या 22क/1 लगायत 12 देखकर कहा कि उक्त रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गई है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दिनांक 04–10–2018 को पीडिता की पैथलोजी जांच रिपोर्ट आदि 23क/1 लगायत 3 व प्रदर्श क–2 के आधार पर पीडिता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट तैयार की गयी जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर पर पत्रावली पर 31क उपलब्द्ध है

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया । जांच में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी क्योंकि सभी रिपोर्ट नगेटिव थीं ।

42– पी0डब्लू0–8 कविता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 18.08.2018 को भी मैं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, देहरादून के पद पर तैनात थी। दिनांक 17.08.2018 को मुझे डी0पी0ओ0 देहरादून, श्रीमती मीना बिष्ट से सूचना मिली थी कि .....इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे धरने पर बैठे हैं, आपको जिलाधिकारी द्वारा वहां जाकर जांच करने के लिए मौखिक में कहा गया है आप वहां जाकर जांच कर लीजिए। इस सूचना पर मैं दिनांक 18.08.2018 को उक्त इंस्टीट्यूट में गई। वहां पर मेन गेट पर बच्चों ने ताला लगा रखा था तथा वहां पर लगभग दो सौ से तीन सौ बच्चे इकट्ठा थे। उक्त बच्चे आंशिक व पूर्ण रूप से दृष्टिहीन थे। पहले उन्होंने हमें आने नहीं दिया फिर हमारे समझाने पर उन्होंने हमें अन्दर आने दिया। फिर हम बच्चों से बात करने इंस्टीट्यूट के ऑडीटोरियम में गए। उक्त समय में हमने राजपुर थाने से सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वालों को भी बुलाया था। बच्चों ने हमें लिखित में दो पेजेस पकड़ाए जिसमें 29 मुद्दे लिखे थे। उक्त लिखित फोटो कापी थी। उक्त लिखत की फोटो कापी पत्रावली पर कागज संख्या 9ख/2 लगायत 4 है।

43– पी0डब्लू0–8 कविता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया गया है कि उक्त मुद्दों पर हमने बच्चों की बात सुनी तथा उन्हें रफली नोट भी किया। बच्चों से बातचीत के दौरान हमें इंस्टीट्यूट में टीचरों द्वारा बच्चों के उत्पीड़न करने का भी आभास हुआ। चूंकि उत्पीड़न के संबंध में सभी के सामने बात नहीं की जा सकती थी इस कारण हमने उन आठ बच्चों को जिनकी बातों से उत्पीड़न का आभास हो रहा था, अलग ले जाकर पृथक–पृथक रूप से बातचीत की गई तथा उनके द्वारा बताए गए तथ्य को मेरे द्वारा स्वयं हपने हस्तलेख में लेखबद्ध भी किया गया था तथा संबंधित बच्चों के अंगूठा निशानी भी लगवाए गए थे। उक्त बयानों की फोटोप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 9ख/5 लगायत 8 संलग्न है, जिसकी मूल प्रति मैं आज लेकर आयी हूं तथा न्यायालय में दाखिल कर रही हूं। जो कि मेरे लेख हस्ताक्षर में है। उक्त बच्चों के बयानों की मूल प्रति पर प्रदर्श क–4 लगायत 9

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

डाला गया। पत्रावली पर मेरे द्वारा बच्चों के लिए गए बयान में से एक बयान की प्रतिलिपि नहीं है। मैंने समस्त बयानों की प्रतिलिपि विवेचक को दी थी। उक्त एक बच्चे के बयान की मूल प्रति भी मैं अपने साथ लायी हूं। जो मेरे द्वारा न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। मेरे द्वारा बच्चों के बयानों की मूल प्रति विवेचक को इसलिए दी गई, क्योंकि उक्त बयान गोपनीय होते हैं तथा प्रतिलिपि के गायब होने की दशा में मूल बयान प्रयोग में लाये जा सकते हैं। उक्त बच्चों द्वारा अपने बयानों में उनके साथ छेड़छाड़ करने की घटना अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा करना बताया तथा मामले की मुख्य पीड़िता द्वारा विशेष रूप से अभियुक्त सुचित द्वारा उसके साथ गलत रूप से छूने आदि के बयान दिए गए। फिर मुझे सी0ओ0 राजपुर का फोन आया कि इंस्टीट्यूट के लोग उन बच्चों को डरा–धमका रहे हैं तब मैंने मामले की लिखित तहरीर दिनांक 18.08.2018 स्वयं लिखकर अपने हस्ताक्षर कर थाना राजपुर में दी थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4क मेरे लेख हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया ।

44– पी0डब्लू0–9 कां0 80 मोहन सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चिक एफ0 आई0 आर0 को प्रदर्श क–11 व कायमी मुकद्मा जी0डी0 को प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया है ।

45– आरोप पत्र में क्रम संख्या 2 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–10 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं आंशिक रूप से देख पाती हूं। घटना के समय मैं कक्षा 9 में .....इंस्टीट्यूट देहरादून में पढ़ती थी। उस समय अभियुक्त सुचित नारंग हमारी कम्प्यूटर क्लास लेते थे। मुझे उस दौरान सिर दर्द की समस्या रहती थी तथा मैं सिर दर्द की दवाईयां भी लेती थी। उस दिन मुझे सिर दर्द हुआ तो मैंने सुचित सर से कहा कि मैं दवाई लेने जाउं तब **सुचित सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी नब्ज देखने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम्हे क्या हुआ है। यह बात उन्होंने पूरी क्लास के सामने डबल मीनिंग के सैन्स में कही थी।** मैंने सर से कहा आप गलत सोच रहे हो मैं दवाई लेती हूं। अभियुक्त सुचित नांरग हमारी क्लास में कई बाते शेयर करते थे तथा एक बार उन्होंने कहा कि एक बार एक लड़की क्लास में पैर फैलाकर बैठी थी तब मैंने कहा कि मैं पैर के बीच में घुस जाउं।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

46– आरोप पत्र में क्रम संख्या 2 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–10 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा एक बार क्लास में यह भी शेयर किया गया था कि हम आंख से नहीं देख पाते इसलिए हमें यह नहीं पता होता कि फिल्म में क्या हो रहा है तथा मेरे दोस्त द्वारा मुझे बताया जाता है कि फिल्म में देखने में यह लगता है कि लड़का लड़की रेस्टॉरेंट में टेबल व कुर्सी पर बैठकर सामान्य बाते कर रहे हैं, परन्तु वह टेबल के नीचे गंदी हरकते करते हैं। अभियुक्त सुचित नांरग द्वारा उक्त बातें व लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने के सम्बन्ध में हम लड़कियों द्वारा अनसुया मैडम से शिकायत की गई, उन्होंने कहा मैं सुचित सर को समझा दूंगी, परन्तु उसके बाद भी अभियुक्त की हरकते बंद नहीं हुई। मेरे इस मुकदमें में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए थे। गवाह को मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान का0सं0 44क/1 को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने यही बयान मजिस्ट्रेट को दिए थे। गवाह ने कहा वहां पर मैंने अंगूठा निशानी लगाया था। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान पर प्रदर्श क–13 डाला गया। मैंने अपने स्कूल में आई कविता शर्मा मैडम को भी बयान दिये थे व अंगूठा लगाया था ।

47– आरोप पत्र में क्रम संख्या 3 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–11 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मै लगभग पूर्णतः दृष्टिहीन हूं। परन्तु मुझे थोड़ी लाईट का आभास होता है। घटना के समय मैं 9वी कक्षा मे थी। उस दिन अभियुक्त सुचित नांरग हमें कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटर पढ़ा रहे थे। **अभियुक्त सुचित ने मुझे पहले कधों पर बहुत टाईट से पकड़ा। फिर मेरी गर्दन से कमर तक मेरी पीठ को अपने हाथों से सहलाया। उसके बाद उन्होनें मेरी पीठ पर 5–7 मुक्के तेजी से मारे।** लड़कों को भी इतना नहीं मारते थे जितना मुझे मारा। मैने इस घटना की शिकायत अनुसूइया मैडम को की थी। उन्होनें कहा कि मै अभियुक्त सुचित को समझा दूंगी और अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के यहां भी बयान हुए थे। उन्हें भी मैने घटना के बारे में बता दिया था। गवाह को कागज संख्या 42क, 164सी0आर0पी0सी0 के बयान पढ़कर सुनाए। गवाह ने कहा कि यही बयान मैने मजिस्ट्रेट साहब को दिये थे तथा उस पर मैने अगूठा भी लगाया था। पीड़िता के 164 सी0आर0पी0सी0 बयान पर प्रदर्श क–14 डाला गया। कविता मैडम ने भी मुझसे

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

पूछताछ की थी। उन्हें भी मैने घटना के बारे में बता दिया था।

48– आरोप पत्र में क्रम संख्या 5 पर वर्णित साक्षी, पी0डब्लू0–12 पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मै पूर्णतः दृष्टिहीन हूं। घटना के समय मैं 11वी कक्षा में थी। उस समय मुझे पीरियड हो रखे थे। उस समय सूचित सर की क्लास चल रही थी। मैने सूचित सर को कहा कि मुझे दवाई लेने के लिए हॉस्टल जाना है। तब उन्होने पूछा कि क्या हुआ तो मैने कहा कि थोड़ी तबीयत खराब है तो मुझे दवाई लेने जाना है। **तब सूचित सर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हे एम0सी0 हुयी है इसलिए तुम्हे हॉस्टल जाना है। सूचित सर क्लास में लड़कियों को जबरदस्ती छूने की कोशिश करते थे ओर क्लास में गंदी–गंदी बाते भी करते थे।** एक दिन हम क्लास में बैठे हुए थे तो उन्होनें कहा कि एक स्टूडेंड अपनी टांगे चौड़ी करके बैठी थी तो मैने कहा कि मैं तुम्हारी टांगों के बीच में घुस जाउगां। उसके बाद हमने अनुसूईया मैडम से इस बारे में शिकायत की तो मैडम ने कहा कि मैं उन्हें समझा दूंगी और इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के यहां भी बयान हुए थे। उन्हें भी मैने घटना के बारे में बता दिया था। गवाह को कागज संख्या 45क, 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान पढ़कर सुनाए। गवाह ने कहा कि यही बयान मैने मजिस्ट्रेट साहब को दिये थे तथा उस पर मैने अगूठा भी लगाया था। पीड़िता के 164 सी0आर0पी0सी0 बयान पर प्रदर्श क–15 डाला गया। कविता मैडम ने भी मुझसे पूछताछ की थी। उन्हें भी मैने घटना के बारे में बता दिया था तथा उनके बयानों पर भी अगूंठा लगाया था।

49– पी0डब्लू0–13 अमित कुमार शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 21–09–2018 मैं ..... में कार्यवाहक उप प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात था । लगभग साढे चार बजे शाम के आस पास महिला छात्रावास वार्डन ..... श्रीमती सुजाता थापा द्वारा मुझे मोबाईल पर सूचना दी गयी कि श्रीमती तेजी जो कि रिकार्ड के अनुसार अभिभावक हैं । पीडिता पी0डब्लू0–1 (छात्रा बालगृह) जो कि ..... विद्यालय की छात्रा है, को दो घन्टे के लिये अपने साथ लेकर गयी है । उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं शाम साढे छः बजे डा0 क्रान्ति नन्दा के पास अपना

Scanned with OKEN Scanner

चैकअप कराने के लिये गया था । वहां से आने के बाद बारिश थोडा तेज थी । मैंने महिला छात्रावास में पुनः लगभग साढे आठ के बीच में फोन किया तब मुझे पता चला कि अभी तक छात्रा (पीडिता पी0डब्लू0–1) वापस नहीं आयी है । तुरन्त मैनें तत्कालीन निदेशक श्री नचिकेता राउत, कार्यवाहक प्रधानाचार्या डाक्टर गीतिका माथुर एंव सब इंस्पेक्टर आरती कलूडा को इस सन्र्दभ में मोबाइल के द्वारा जानकारी दी ।

50– पी0डब्लू0–13 अमित कुमार शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया गया है कि सब अधिकारी और कर्मचारी जिनमें कार्यवाहक प्रधानाचार्या डा0 गीतिका माथुर, निदेशक श्री नचिकेता राउत, सब इंस्पेक्टर आरती कलूडा मय स्वयं महिला छात्रावास गये व डा0 गीतिका माथुर एंव सब इंस्पेक्टर आरती कलूडा द्वारा तेजी मैडम से दूरभाष पर वार्ता की गयी और तुरन्त उन्हें छात्रावास आने के लिये कहा। इनका मोबाईल सब इंस्पेक्टर द्वारा सर्विलांस पर भी लगवाया गया जिसमें इनकी लोकेशन ऋषिकेश आयी। निदेशक महोदय द्वारा तुरन्त मुझे डा0 गीतिका माथुर एंव सब इंस्पेक्टर आरती कलूडा को ऋषिकेश जाने के लिये कहा गया । हमारे साथ एक कांस्टेबल भी राजपुर थाने से गये थे। ऋषिकेश पहुंचने पर हमने आस पास की धर्मशालायें व होटल में सर्च अभियान चलाया क्योंकि सर्विलांस से उनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी और मोबाइल भी ऑफ था। काफी ढूढने के पश्चात् हम लोग वापस देहरादून आ गये । देहरादून पहुंचते समय सुबह लगभग आठ साढे आठ पन्द्रह के बीच कार्यवाहक प्रधानाचार्या डा0 गीतिका माथुर के पास महिला छात्रावास से फोन आया कि पीडिता पी0डब्लू01 तेजी मैडम के साथ छात्रावास में वापस आ गयी है। संस्थान पहुंचने पर कार्यवाहक प्रधानाचार्या डा0 गीतिका माथुर एंव सब इंस्पेक्टर आरती कलूडा द्वारा तेजी मैडम से पूंछतांछ की गयी तो उन्होंने उस समय कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद तेजी मैडम चली गयी।

51– पी0डब्लू0–14 कमलवीर सिंह जग्गी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं वर्ष 2008 से 2018 तक ..... के विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहा। हमारे स्कूल में एक अन्य अध्यापक रमेश चन्द्र जी थे। उनके उपर दो मेल छात्रों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन पर अपराधिक मुकदमा भी चला था। उन्हें जून में गिरफ्तार किया गया था।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

उस प्रकरण में पुलिस ने दो बच्चों की गवाही करायी थी। वे दो छात्र .... व .... थे। दो अध्यापक के साथ इन दोनों छात्रों को स्कूल से गवाही के लिए भेजा था। दिनांक 14.08.2018 को .... की माता स्कूल में आयी थी, उन्होंने आपत्ति की कि मुझसे पूछे बगैर हमारे बच्चे को गवाही के लिए कैसे भेज दिया। .... के माता–पिता हरियाणा में रहते थे। उसकी माता ने आपत्ति की व बच्चों को भड़काया तथा बच्चों के साथ कैन्टीन में मीटिंग भी की थी। मेरे द्वारा डायरेक्टर को इसकी जानकारी दी गई थी। उस दिन डायरेक्टर शहर से बाहर थे इसलिए उन्हें फोन से जानकारी दी गई। बाद में निदेशक व मेरी बच्चों से मीटिंग हुई थी। बच्चे मीटिंग से वॉकआउट कर गए।

52– पी0डब्लू0–15 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं ..... स्कूल में नौकरी करता हू। मैं मार्च 2009 से इस स्कूल में कार्यरत हूं। इस समय मैं पीजीटी हिन्दी के पद पर कार्यरत हूं। मैं हाजिर अदालत मुल्जिम सूचित नारंग को पहचानता हूं। ..... के बच्चों ने कुछ हड़ताल की थी। हड़ताल उन्होंने अपनी मांगों के संबध में की थी। अभियुक्त के संबध में भी मांग थी। **अभियुक्त द्वारा बच्चों को सोशल उत्पीड़न को लेकर भी बच्चों ने हड़ताल कर रखी थी।** यह बात मुझे पीड़ित बच्चों ने ही बतायी थी। पीड़ित बच्चों में लडकियों ने मुझे कुछ नहीं बताया लेकिन जो और लड़के बच्चे थे, उनके द्वारा मुझे इस संबंध में बताया था। अखबारों में भी इस संबंध में काफी छपा था। शिकायत लड़कियों के लड़के दोस्तों/सहपाठियों द्वारा की गयी थी।

53– पी0डब्लू0–16 शशिकला द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 21 सितम्बर 2018 को मैं ..... महिला छात्रावास में असिस्टेंट लेडी सुपरवाईजर के पद पर तैनात थी। मेरी ड्यूटी सुबह आठ बजे से शाम के चार बजे तक थी। वहां पीड़िता को लेने पीड़िता की इंचार्ज व संरक्षक तेजी मैडम अपनी एक साथी के साथ हॉस्टल में आयी थी। वह मिलने आयी थी और मैडम बोल रही थी कि बच्ची / पीड़िता तनाव में है मैं उसे एक घण्टे के लिए बाहर घुमाने ले जा रही हूं। किसी भी संरक्षक को अपने बच्चों को सीमित समय 1–2 घण्टे के लिए ले जाने की अनुमति होती है। मैंने हॉस्टल के

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर में एण्ट्री की थी तथा बाहर जाने का पास भी इश्यू किया था। फिर मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद चार बजे घर चली गई। उसके बाद मेरे बाद जो मेरी जगह ड्यूटी पर आयी थी उन्होंने मुझे फोन पर सूचना दी थी कि पीड़िता रात्रि में भी वापस नहीं आयी। स्टाफ के लोग उसे तलाश कर रहे हैं। मेरे द्वारा हॉस्टल के रजिस्टर की प्रति प्रमाणित कर प्रिंसिपल को दी थी जो पत्रावली पर का0सं0 39क है इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। हॉस्टल का मूल रजिस्टर मैं साथ लायी हूं। पत्रावली पर का0सं0 39ख मूल की फोटोप्रति है और मेरे द्वारा प्रमाणित है और इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क–16 डाला गया।

54– पी0डब्लू0–17 आशा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं अभियुक्त सुचित नारंग को जानती हूं। ये हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, लेकिन ये हमें कम्प्यूटर पढ़ाते थे। ये बातें 2018 की हैं। मुझे पीड़िता से ही पता लगा था कि सुचित सर उसे अपने कमरे में बंद करते हैं और उसके साथ अश्लील हरकत करते थे। मैं ..... व ..... के साथ डॉ0 अनुसुया शर्मा मैडम वाईस प्रिंसिपल के पास शिकायत करने गये थे। उन्होंने सिर्फ हमें कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्यवाही नहीं की।

55– पी0डब्लू0–18 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूं। मैं न्यायालय में प्रश्नों का उत्तर देने आयी हूं। हम छः भाई बहन हैं। मैं जानती हूं कि हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि न्यायालय को सच बात पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा देख लेती हूं। जुलाई 2018 की बात है। उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ रही थी। मुझे व मेरी सहेली को सुचित सर ने म्यूजिक रूम में हाउस प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। हम वहां दिन में 12–1 बजे के बीच गए थे। जब मैं और खुशी वहां पर गए तो रूम बंद हो रखा था हमने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। **फिर हमने 5–6 सेकेण्ड के बाद दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अभियुक्त सुचित सर ने दरवाजा खोला तो हमने देखा कि वहां पर सुचित सर और एक लड़की/आरोप पत्र में वर्णित गवाह संख्या 25/न्यायालय में गवाह संख्या 01 थे। वह एक कॉर्नर में खड़ी थी।** हमने उसे इगनोर किया। फिर हमने सर से बात की और वह लड़की/पीड़िता किनारे से निकल गई जैसे हमे पता न चले। फिर आठवां पीरयड जो कि म्यूजिक का था तो सुचित सर ने गर्ल्स को बोला मैं पीड़िता आरोप पत्र में वर्णित गवाह

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 25/न्यायालय में गवाह संख्या 01 को अपनी बेटी की तरह मानता हूं। हमने उनसे कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही बताया। हमें इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि सुचित सर ने इससे पहले ऐसा कुछ बोला नहीं था। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कविता शर्मा ने मेरे बयान लिए थे।

56– पी0डब्लू0–19 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि हम दो भाई एक बहन हैं। मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। मैं न्यायालय में बयान देने आयी हूं। हमे सच बोलना चाहिए। न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का साक्षी द्वारा सही–सही जवाब दिया गया। मैं पीड़िता को जानती हूं। हम दोनों दोस्त थे। 2018 की बात है। पीड़िता को तेजी मैडम लेने आयी थी। पीड़िता को ले जाने के बाद तेजी मैडम काफी देर तक नहीं आयी तब मैंने इस बात को ..... दीदी को बताया था। मुझे नहीं पता दीदी ने किसे बताया।

57– पी0डब्लू0–20 उप निरीक्षक आरती कलूडा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दि0 21–09–2018 में मैं पीडिता के इन्स्टीट्यूट में बतौर चौकी इंचार्ज तैनात थी। उसी दिन इंन्स्ट्रीयूट के वार्डन शशि और पीडिता की सह पाठियों ने फोन करके बताया कि पीडिता को उसकी मैडम तेजी कौर दो घंटे के लिए घुमाने ले गयी थी जो अभी तक यहां वापस नहीं आयी हैं। इसके बाद मैंने स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमति गीतिका माथुर को फोन करके पूछा और मौके पर बुलाया तो इनके द्वारा भी घटना की पुष्टि की गयी कि उसकी मैडम तेजी कौर दो घंटे के लिए घुमाने ले गयी थी जो अभी तक यहां वापस नहीं आयी हैं। उसके बाद मैंने पीडिता की मैंडम तेजी कौर को फोन किया और उनसे पूछा कि वह कहां हैं। उन्होंने बताया की मैं पीडिता की गार्जियन हूं। और वो मेरे साथ हैं। वह कहां पर है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और फोन बंद कर दिया। इसके बाद लगातार फोन करने पर तैजी कौर का फोन बंद आ रहा था।

58– पी0डब्लू0–20 उप निरीक्षक आरती कलूडा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया गया है किउसके बाद मैंने एस.ओ.जी मैं नियुक्त कांस्टेबल प्रमोद से तैजी कौर के नंबर की लोकेशन व सी.डी.आर के हेतु बात की कांस्टेबल प्रमोद द्वारा तैजी कौर की लोकेशन ऋषिकेश स्वर्गआश्रम के पास आयी। मैं एस.आई मय प्रिंसिपल श्रीमति गीतिका माथुर व वाईस प्रिसिंपल श्री

Scanned with OKEN Scanner

अमित के साथ पीडिता की तलाश हेतु ऋषिकेश स्वर्गआश्रम में रातभर ढूंडते रहें। लेकिन पीडिता और तैजी कौर, पूर्णिमा हमें नहीं मिली। तेजी कौर का फोन रात भर बंद रहा रात भर तलाश करने के बाद हम सुबह करीब 8 बजे वापस पीडिता के इंस्टीट्यूट में आये, और कुछ समय बाद पीडिता को लेकर तैजी कौर स्कूल पर आ गयी। घटना क्रम की सूचना मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गयी थी। पीडिता से पूछताछ पर पीडिता ने बताया कि मुझे तैजी कौर मैडम ने सूचित नारंग के खिलाफ गवाही न देने के लिए दबाव बनाया, और मुझे थप्पड मारा था।

59– पी0डब्लू0–21 उप निरीक्षक विनयता चौहान द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चार पीडिताओं के बयान अन्तर्गत धारा 164सीआरपीसी अंकित कराने हेतु दिये गये प्रार्थनापत्र को प्रदर्श पी–17 प्रदर्श पी–18 के रूप में, पीडिताओं के धारा 164सीआरपीसी के बयान के अवलोकन हेतु दिये गये प्रार्थनापत्रों को प्रदर्श पी–19 प्रदर्श पी–20 के रूप में घटना स्थल के नक्शा नजरी को प्रदर्श पी–21,सीडीआर की कैफ प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र को प्रदर्श पी–22 के रूप में,डीबीआर व पावर एडाप्टर की फर्द को प्रदर्श पी–23 के रूप में, अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास हेतु डीसीआरवी को प्रेषित प्रार्थनापत्र को प्रदर्श पी–24 के रूप में, डीवीआर की हार्ड डिस्क को कब्जे में लेने के प्रमाणपत्र को प्रदर्श पी–25 के रूप में, हार्ड डिस्क की फर्द को प्रदर्श पी–26 के रूप में तथा आरोप पत्र को प्रदर्श पी–27 के रूप में साबित किया है ।

60– सी0डब्लू0–1 पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो ने अपनी मुख्यपरीक्षा में के पी0डब्लू0–2 की जन्म् प्रमाणपत्र प्रदर्श सी–2/सी0डब्लू0–1 के रूप में तथा पी0डब्लू0–2 की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में जन्म् तिथि प्रदर्श सी–3/सी0डब्लू0–1 के रूप में तथा पी0डब्लू0–2 का आधार कार्ड प्रदर्श सी–4/सी0डब्लू0–2 के रूप में साबित किया एंव स्पष्ट रूप से पी0डब्लू0–2 की जन्म् तिथि 27–11–2006 साबित की। सी0डब्लू0–1 ने मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया है कि आरोप पत्र में साक्षी संख्या–25 का मूल जन्म प्रमाण पत्र में साथ लायी हूं। इसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर का0सं0–204ख1/1 है। यह हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्या श्री ..... शर्मा द्वारा प्रमाणित है, जो मेरे

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष ही उनके द्वारा प्रमाणित किया गया था। उनके लेख हस्ताक्षर पहचानती हूं। प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श सी–5/सी-डब्ल्यू.–01 डाला गया। आरोप पत्र में साक्षी संख्या–25 की कक्षा–10 की मार्कसीट मूल रूप से साथ लायी हूं। इसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर का0सं0– 204ख/3 है। यह हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्या श्री ..... शर्मा द्वारा प्रमाणित है, जो मेरे समक्ष ही उनके द्वारा प्रमाणित किया गया था। उनके लेख हस्ताक्षर पहचानती हूं। प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श सी–6/सी-डब्ल्यू.–01 डाला गया। इन दोनों में आरोप पत्र में साक्षी संख्या– 25 की जन्मतिथि 03.05.2005 अंकित है।

61– सी0डब्लू0–1 पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो ने अपनी मुख्यपरीक्षा में आगे कथन किया है कि आरोप पत्र में साक्षी संख्या–24 का मूल जन्म प्रमाण पत्र में साथ लायी हूं। इसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर का0सं0–204ख/33 है। यह हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्या श्री ..... शर्मा द्वारा प्रमाणित है, जो मेरे समक्ष ही उनके द्वारा प्रमाणित किया गया था। उनके लेख हस्ताक्षर पहचानती हूं। प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श सी–7/सी-डब्ल्यू.–01 डाला गया। आरोप पत्र में साक्षी संख्या–24 की कक्षा–10 की मार्कसीट मूल रूप से आज साथ लायी हूं। इसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर का0सं0– 204ख/31 है। यह हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्या श्री ..... शर्मा द्वारा प्रमाणित है, जो मेरे समक्ष ही उनके द्वारा प्रमाणित किया गया था। उनके लेख हस्ताक्षर पहचानती हूं। प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श सी–8/सी.डब्ल्यू.–01 डाला गया। इन दोनों दस्तावेजों में पीडिता की जन्मतिथि 04.07.2003 अंकित है।

62– यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व प्रस्तुत मामले में दिनांक 18–08–2018 को बाल कल्याण समिति देहरादून की अध्यक्ष कविता शर्मा पी0डब्लू0–8 द्वारा ..... राजपुर रोड में सीआरपीसी की धारा 164 के अन्तर्गत पीडिताओं के बयान दर्ज किये गये । पीडितओं के बयान दर्ज करने के उपरान्त एंव पीडिताओं के उपर यौन अत्याचार की पुष्टि के उपरान्त ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। पी0 डब्लू0–8 न्यायालय के मत में एक निष्पक्ष व्यक्ति है और सुचित नारंग या अनुसुइया शर्मा के साथ कोई रंजिश या द्वैष भी पत्रावली पर नहीं आया है।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

63– पीडिता संख्या 1 ने प्रदर्श क–4 में कथन किया कि सुचित सर पता नहीं किसके टीचर हैं। सभी कम्प्यूटर खेल आदि सिखाते हैं । पैरों में पिंच किया सोल्डर टटोला पेस किया मना किया तो कहा क्या कर लेगा कोई । डायरेक्टर मैडम मेरी बहन है । सभी बच्चों के साथ करते हैं ऐसा छोटे बच्चों की फांक उपर करते क्लास रूम में लॉक करते हैं बच्चों को, मेरे को कभी नहीं किया । छोटे बच्चे बताते हैं । बच्चों के नाम नहीं मालूम हैं ।

64– पीडिता संख्या 2 ने प्रदर्श क–4 में कथन किया कि सुचित सर लडकियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं । मैं 9th क्लास में थी कम्प्यूटर लैब में मेरे कन्धों को दबाया उस समय बहुत सारे स्टूडेन्ट रहे थे । मेरे कन्धों का पेस किया । मेरी बैक पर हांथ लगाया और बैक में मारा । मुझे Periods हो रहे थे उस टाईम मारने का पता था टच का नहीं । वाइस प्रिसिंपल मैडम(डा0 अनुसूया शर्मा) ने कहा था कि मैं समझा दूंगी । उसके बाद मैंने कभी उन्हें पास नहीं आने दिया । मैं खुद उठकर दूसरी जगह चली जाती थी । वह टोटली ब्लाईन्ड है । मुझे हल्का सा दिखता है । कभी–कभी नहीं दिखता है । मुझे आप लोग कितने हैं दिख रहा है । डायरेक्टर भी टोटली ब्लाईन्ड है । और कोई टीचर नहीं करता लडके भी ऐसा नहीं करते हैं ।

65– पीडिता संख्या 3 ने अपने बयान प्रदर्श क–5 में कथन किया कि वह कक्षा 12वीं की छात्रा है । कक्षा पहली से पढ रही है । मेरे साथ सुचित सर ने क्लास चल रही थी । मुझे पीरियड हो रहे थे । मैं हॉस्टल जा रही थी । वह मुझसे पूंछने लगे कि क्या प्राबलम है । बाहर ले जाकर क्या प्राबलम है क्या हुआ है । मैंने कहा कि मुझे मेडसिन लेने जाना है । मुझसे पूंछा कि कोई internal प्राबलम है क्या ? मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है । मुझे भेज दीजिये। वह बार बार पूंछ रहे थे कि क्या बात है मैंने कहा कि मुझे प्राबलम है मुझे जाने दीजिये हॉस्टल में फिर उन्होनें पूंछा क्या प्राबलम है क्या तुम्हे M C वाली प्राबलम है। इंटरनल प्राबलम मेरी हांथ की नस देखी और कहा कि मैं नस देखकर पहचान लेता हूं। मुझे गन्दा सा फील हुआ और फिर जाने दिया। शाबासी देने के लिये पीठ पर हांथ फेरते हैं। मुझे कुछ नहीं दिखता है। मुझे क्लास के बाहर ले जाकर पूंछा गया था ।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

66– पीडिता संख्या 4 ने अपने बयान में कथन किया कि सुचित सर से प्राबलम है । जब मैं 4th में थी । तब क्लास उनका अरेजमेन्ट पीरियड था । बच्चों से गाने सुने । मैंने सॉग सुनाया । उन्होंने पास बुलाकर हांथ में किस किया Right Hand में मुझे अच्छा नहीं लगा फिर वाईस प्रिसिंपल मैडम को बताया। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा । सुचित सर कहते हैं कि डायरेक्टर मैडम उनकी बहन हैं ।

67– पीडिता संख्या 5 ने अपने बयान प्रदर्श क–6 में कथन किया कि सुचित सर 9th कक्षा में 5th Period में एक बार मेरे से गलती हुई तो मारते हैं बच्चों को । मुझे हेडएक होता है मेरी नस देखकर कहा सभी के सामने की मुझे पता है कि तुम्हे क्या हुआ है । डबल मीनिंग बोला । वह कुछ भी पढाते हैं पीडिता संख्या 6 व एक अन्य पीडिता ने अपने बयान प्रदर्श क–7 में कथन किया कि हुआ यह था उस टाईम पर हमारा हाउस चल रहा था लंच का टाईम था 12.45 समय था हमें प्रैक्टिस पर बुलाया था । बुलाया था उस लडकी को था और मुझे भी साथ बुलाया था वह 8th में पढती है उसे कम दिखता है प्रैक्टिस के लिये वह गयी थी और मैं साथ में दिखती थी मैं भी गई थी (..... पुत्री....., 14वर्ष) भी गई थी । अन्दर से Music Room में कुन्डी थी बाहर से हम नोक कर रहे थे। पहले नोक किया तो 5–10 Second बाद लॉक खोला गया । अन्दर गये तो सुचित सर और एक लडकी थी कोई नहीं थी वह लडकी एक कार्नर पर खडी थी हमें दिखाई देता है वह लडकी ऐसे गई जैसे हमें दिखाई नहीं देता वह 7th में पढती है हम नाम नहीं बतायेंगे । वह लडकी अधिकतर उनके साथ रहते हैं । हम तीन जने गये थे ।

68– पीडित संख्या 7 ने अपने बयान प्रदर्श क–8 में कथन किया कि 5th क्लास से पढ रहा हूं । गलत टॉपिक पर बात कर रहे थे कि मेरी एक स्टूडेन्ट थी वह टांगे फेलाकर बैठी थी उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल जाता कि कौन कैसा बैठा है और सुचित सर ने उस स्टूडेन्ट से कहा कि मैं तुम्हारी टांगों के बीच में घुस जाउं । यह बात सार्वजनिक कही । लडकियों ने यह बात अनुसूया मैडम से कही परन्तु कुछ कार्यवाही नहीं हुई । यह घटना सुचित सर ने सभी के सामने सुनाई थी ।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

69— पीडित संख्या 8 ने अपने बयान प्रदर्श क—9 में कथन किया कि लखनउ से आया है । मैडम लाई हैं । खाना ठीक ही मिलता है । अपने मनपसन्द का खाना नहीं मिलता है । सुचित सर को बच्चे खराब कहते हैं। ..... दीदी ने बताया था तेजी मैडम मेरी हेल्प करती हैं। एक बार मुझे टच किया वह गरदन से पकडकर पिंच करते। सुचित सर जब हम 4^{th} 5^{th} में थे तब पढते थे। बालिका अपने अंगों को स्पर्श करते हुए डर डर के यह बात बताती रही कि किस तरह सुचित नारंग सर ने एक दिन मुझे अकेले कमरे में बुलाया था और मुझे कस किया। मुझे छुआ गलत हरकत की जब और बच्चों ने दरवाजा खटखटाया तो कहा कि जब बडी हो जाउंगी तो वह मुझसे शादी करेंगे। यह बात किसी को भी न बताने के लिये कहा गया ।

70— अभियुक्त सुचित नारंग की ओर से बचाव साक्ष्य में स्वयं को डी0डब्लू0—1 के रूप में परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि मैं शास्त्रीय संगीत गायन में एम.ए पी.एच.डी हूं, तथा नेत्रहीन को कंम्प्यूटर सिखाने का भी ज्ञान रखता हूं। मैं पिछले 30 वर्षो में अपने घरों व अनेक संस्थानों में संगीत गायन बच्चो कों सिखाया, तथा वर्ष 2008 से मैं ..... विद्यालय में बच्चों को संविदा पर सिखाता रहा। मैं वर्ष 2014 के प्रोवेजन पीरियड के बाद स्थाई अध्यापक की नियुक्ति दिसम्बर 2014 में मिली। ..... में कर्मचारियों का मात्र एक संघ है मेरी स्थायी नियुक्ति के पश्चात सहकर्मियों के बार—बार जोर डालने पर भी मैंने इस संघ की सदस्यता को नहीं लिया। इस संघ में अध्यापक धर्मेंद्र राठौर एवं रमेश कश्यप इस संघ के पदाधिकारी थे। आज मैं संघ के पदाधिकारियों की सूची व लैटर हैड दाखिल करता हूं। ..... में रहने की सुविधा थी जो कि मैंने नहीं लिया। दिसम्बर 2014 से अगले तीन—चार वर्षों से मैंने प्रधानाचार्य जी के आदेशानुसार कार्यलय के साथ मे कंम्प्यूटर की ही कक्षायें ली है। मैं पूर्ण दृष्टिहीन हूं। वहां पर अधिकांश सहकर्मी व कर्मचारी सामान्य दृष्टि वाले थे। आवश्यकता पडने पर वह स्वतः मेरा हाथ पकडकर मुझे इधर—उधर ले जाया करते थें पढने वाले कुछ विद्यार्थी आंशिक दृष्टि वाले थे ऐसे विद्यार्थी अमुमन अधिक शरारती होते थे और समय—समय पर यह पूर्णत नेत्रहीन अध्यापकों के साथ शरारत करते रहते थे।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय में मेरे अलावा अन्य अध्यापक भी जिनमें मनीष, टेंजिंग व अमित सर आदि कंम्प्यूटर सिखाते थे कुछ विद्यार्थी उनके साथ व कुछ हमारे साथ कंम्प्यूटर सीखते थे। विद्यालय में माहौल दोनों तरह के बच्चों में सौहार्द पूर्ण था। मैंने अपने परीविक्षा काल के दौरान प्रत्येक कार्य लगनता पूर्वक किया ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिल सके। विद्यालय मेरे पढाने से खुश थे जिसके चलते मुझे वर्ष 2016 में विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थीयों की सम्मिलित राय से बेस्ट टीचर का खिताब एसेंबली मे सभी के सम्मुख प्रदान किया गया। वर्ष 2017–18 में मैंने प्रथम तल पर कक्षा में संगीत, गायन की भी नियमित कक्षायें लेना भी आरम्भ किया उक्त विद्यालय में वर्तमान विद्यालय के कुछ पासआउट विद्यार्थियों के तथा स्टॉफ के सम्मिलित व्हाइट्सेप ग्रुप भी थे जिनमे से दो ग्रुप ..... स्कूल मस्ती एवं ..... में एल्युमिनॉय ऑफ इंडिया मे मुझे भी सम्मिलित किया गया। इन ग्रुपस में अधिकतर नेत्रहीन व्यक्ति मौखिक संदेश का आदान प्रदान किया करते थे समय अभाव के चलते मैं इन्हें बिना सुने डिलिट कर दिया करता था। मेरे विद्यालय में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 वीं तक के छात्र है। छात्रों के दो ग्रुप एक सीनियर और एक जूनियर ग्रुप है। हमारे विद्य ालय के छात्र–छात्रों को अध्यापकगण टूर पर पूरे भारत वर्ष भ्रमण पर ले जाये करते थे। कंम्प्यूटर से संबधित टूर मैं व संगीत सें संबधित टूर अध्यापक रमेश कश्यप ले जाते थे। वर्ष 2018 में रमेश कश्यप संगीत प्रतियोगिता हेतु एक टूर जयपुर लेकर गए थे। इस टूर मे रमश कश्यप के अलावा .... आदि गए थे 3 अप्रैल 2018 में कक्षा 11 वीं के विद्यार्थियों व कुछ बडे अन्य छात्र जिनमें विशेष रूप से .... एवं ..... बोल रहे थे कक्षा 7वीं के एक छात्र .... के साथ जयपुर टूर में और उससे पहले अन्य एक बार अध्यापक रमेश कश्यप द्वारा यौन शोषण किया गया है और .... छात्र बहुत परेशान है और वह मुझसे मिलना चाहता है। इससे अगले दिन पीडिता छात्र ..... संगीत कक्षा में आकर मुझे यौनदुराचार की बात बताई मैंने स्वयं को दुविधा पाते ही मैंने उसके कथन की ऑडियो रिकार्डिग बनायी। वह ऑडियो रिकॉर्डिग का ल्पियांतरण कर दाखिल करता हूं। ..... ने मुझे यह भी बताया था कि उसने दुराचार की बात मुझसे पूर्व दो सीनियर छात्रों ....., और ..... भैय्या को बतायी थी और अब वह यह बात स्वयं

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

प्रशासन को बताउंगा। जब पिछले दिन इस विषय पर छात्रों ने मुझसे बात की थी तो मैंने प्रधानाचार्य को यह सब बात बताई थी। इससे अगले दिन जब .... ने मुझसे बात की तो मैंने प्रधानाचार्य को बता दिया था। मैंने विद्यालय प्रधानाचार्य को लिखित मे शिकायत की थी इससे अगले दिन लंच टाइम में स्टॉफ रूम में अध्यापक रमेश कश्यप, धर्मेद्र राठौर एवं शिवशंकर जी ने मुझे यह कहा कि मुझे अध्यापक होने के नाते अन्य अध्यापकों के मान–सम्मान का ध्यान रखना चाहिए अतः मुझे .... वाली बात को यूं ही नहीं उठाना चाहिए था। अध्यापक धर्मेद्र राठौर एवं शिवशंकर देख सकते हैं। यह सभी अध्यापक अपने–अपने आवास में विद्यालय परिसर मे ही रहते थे। इतनी संवेदनशील गोपनीय बात इनके संज्ञान में आने के बाद मैं उस दिन स्वयं को अकेला महसूस करते हुए चुप ही रहा जो मैंने लिखित शिकायत विद्यालय प्रशासन को उक्त प्रकरण मे की थी उस पर निदेशक महोदय के आदेशानुसार आंतरिक जांच हुई । इस जांच से पहले दोनों छात्र ..... और ..... मेरे पास आये उस जांच में मेरे बयान हुए अपने बयानों में मैंने जांच अधिकारी विरेन्द्र सिंह के समक्ष उन्हें समस्त घटनाक्रम की जानकारी देते हुए .... की ऑडियो रिकॉर्डिग की सी.डी भी दे दी। इसके कुछ ही दिनों बाद अध्यापिका अनुसूइया शर्मा जी ने लंच मे मुझे मिलने पर बताया कि अतीत में उनके कार्यकाल में एक अन्य छात्र ..... ने भी रमेश कश्यप पर यौन दुराचार का आरोप लगा प्रशासन को उनकी शिकायत की थी इस जांच में उन्होंने जांच अधिकारी को इस बार बताई है। इस जांच में अध्यापक रमेश कश्यप दोषी पाये गए। फिर एक संस्था विद्यालय में आयी और पूरी जांच बिठाई जिसमें रमेश कश्यप पर प्राथमिकी दर्ज हो गयी। फिर पुलिस भी विद्यालय में आयी और समस्त जानकारी जुटाने के बाद अध्यापक रमेश कश्यपक को हिरासत में लिया। इसके कुछ दिन बाद ..... विद्यालय छोडकर चला गया । 10 अगस्त 2018 को मुझे अध्यापक रमेश कश्यप प्रकरण में दोनों छात्रों ...., ... के साथ थाने में बयान के लिए भेजा गया अध्यापक अमित मेरे साथ गए थे। जिस दिन मैं पुलिस बयान देने गया था। उस दिन मैंने .... की सी.डी पुलिस को दी थी जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी में उन्हें नही जानता ने मुझसे कहा कि यह सी.डी आप अभी ना दें जब आपको न्यायालय

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

बुलवाया जायेगा, तब यह न्यायालय में ही दीजिएगा। मैं यह बयान देने राजपुर थाने में ले जाया गया था। मुझे वहां पर अध्यापक अमित शर्मा और मेरे साथ दो छात्र .... और .... गये थे। मुझे कभी उस प्रकरण में न्यायालय बुलाया गया और ना ही मुझे इस प्रकरण की सूचना मिली। समय–समय पर मैंने अपने विद्ययालय प्रशासन को लिखा था इसके अलावा मैंने 25 मई 2018 को एस.एस.पी महोदय को पत्र लिखते हुए उसे टाइप कराकर सुना और उस पर अपना अंगूठा चिह्न लगाते हुए मैने उस पर अध्यापक धमेन्द्र राठौर द्वारा मुझे भी जेल भिजवाने की धमकी आदि का उल्लेख करते हुए उनसे याथोचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की। न्यायालय में पत्र दाखिल करता हूं। मैं पढ नहीं सकता। सुन सकता हूं। मैं पूरी तरह से अंधा हूं। गवाह को पुलिस अधिक्षक को दिया गया पत्र दिनांकित 25.05.2018 पढकर सुनाया गया तो उसने सुनकर कहा यह वही पत्र है जो मैने पढकर अंगूठा लगाकर एस.एस.पी साहब को भेजा था। इस पत्र पर प्रदर्श डी–1 डाला गया। इस लेटर पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। मैंने पुनः एक पत्र 17 अगस्त 2018 को एस.एस.पी महोदय से मौखिक रूप से बात की थी समस्त घटना बतायी थी व लैटर उनको दिया था। गवाह को एस.एस.पी को भेजा गया पत्र दिनांक 17.08.2018 का पत्र पढकर सुनाया गया। गवाह ने कहा यही पत्र एस.एस.पी महोदय को दिया था। आगे मैंने अपने घरवालों के द्वारा एक पत्र टाइप कराकर उस पर अपना अंगूठा चिह्न लगाकर आर.टी.आई से सूचना मांगी गयी कि पुलिसवालों ने मेरे पूर्व पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी, कि रमेश कश्यप जेल में है वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुचायेगा। हमारा विद्यालय सीनियर, जूनियर दो सैक्सन में बंटा हुआ था। मेरे खिलाफ यह मुकदमा संघ के अधिक्तर सदस्य द्वारा और अनेक संगठनों द्वारा जिनमें एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड और फैडरेशन ऑफ ब्लाइंड के सदस्य सामिल थे जिन्हे संघ ने अपने साथ जोड लिया था। मेरे खिलाफ यह मुकदमा रमेश कश्यप के चाहने वालों संघ व इन संगठनो के दबाव में विद्य ार्थियों को हैवी अमाउंट का प्रलोभन देते हुए लगवाया गया। मैंने पीडिताओं के साथ कोई गलत काम नहीं किया। दिनांक 14.अगस्त को .... उसकी बडी बहन ..... और ..... की माता विद्यालय में आयी और प्रधानाचार्य कार्यलय में उच्चस्वर में लडते हुए बोली कि उनके पुत्र को अध्यापक रमेश

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

कश्यप के विरूद्ध थाने में बयान देने क्यो भेजा गया था। उन्होंने दो दिन तक विद्यालय के छात्रावास में रूक कर सामुहिक बैठकें भी की। वहीं कक्षा 8वीं के छात्र ने मुझे बताया कि पीडिता पी.डब्लू–1 ने उसे स्वयं बताया था कि पी. डब्लू–10 व पी.डब्लू–3 उस पर दबाव बना रहीं थी कि वह उनका कहा माने और जहां–जहां वो कहें वैसा–वैसा वह बोले बदले में ऐसा करने से उसे ढेर सारी धनराशि दी जायेगी। इससे कुछ दिन पहले कुछ छोटे विद्यार्थियों ने मुझसे ऐसे सवाल किए जिसमें विशेष रूप से पी.डब्ल–5 व पी.डब्लू–7 सामिल थे कि सर क्या आपने रमेश सर को इसलिए जेल भिजवाया कि आपको उनकी नौकरी मिल सके। सर आप क्या जानते है उनके जेल चले जाने से उनकी छोटी बच्ची और पत्नि भूखे ही रह जायेगें। उनकी यह बात बिल्कुल गलत थी इस संबंध में अपनी पोस्ट से मांगी गयी आर.टी.आई दाखिल करूंगा। 16–17 अगस्त 2018 को आंशिक दृष्टि वाले वरिष्ठ छात्रों ने कक्षाये बंद कर दी थी। इन हालातों को देखते हुए मैंने 17 अगस्त को निर्देशक कार्यलय में जाकर रमेश कश्यप प्रकरण में समस्त दस्तावेजों की कॉपी मांगी । जिस पर मुझे इस जांच में मेरे बयान पीडित .... के बयान एवं निष्कर्ष की कॉपी दी गयी। जिन्हें मैंने उस दिन बडे भाई सुमित नारंग को सौंप दिया। कक्षायें बंद छात्रों ने अचानक से किन्ही के कहे में की गयी थी। उसी दिन विद्यार्थियों ने संस्थान को बंद कर दिया और साथ–साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्हाइट्ऐप के कुछ संदेशों का अवलोकन कर मुझे यह पता चला कि यह सब संघ के सदस्यों द्वारा विद्यालय के पूर्व छात्रों के माध्यम से वर्तमान छोटे–बडे छात्रों को प्रभावित कर व संचालित कर के किया जा रहा था, जिसके पीछे संघ के सदस्यों के दो उद्देश्य से प्रतिशोध हेतु उन सभी से बदला लेना जिनके कारण रमेश कश्यप पर कार्यवाही हुयी थी और दूसरा मुझे इतनी परेशानियों में डाल देना कि यदि रमेश कश्यप पर उन दिनों चले आ रहे मुकदमें में मुझे गवाही या साक्ष्य हेतु आवश्यकता पडने पर बुलाया जाये, तो मैं प्रस्तुत ना हो सकूं। मुझे यह भी पता चला कि 17 तारीख को यही संगठित लोग विद्यालय के कैनाल रोड के पिछले गेट से छुपकर अंदर घुसे और इन्होंने वहां पर विद्यार्थियों के वीडियोज बनवाये और स्वयं भी बनाये। उसके बाद इन्होंने मीडियाकर्मियो सें मिलकर व अन्यों को ये वीडियो भिजवाये। साथ–साथ इन्होंने ही विद्यार्थियों से अलग–अलग जगह पर

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

फोन भी करवाये। इन्ही के द्वारा ही गढा हुआ एक स्वरूप प्रस्तुत करवा दिया गया, मुझ पर असत्य आक्षेप लगाने वाली छात्राओं ने पी.डब्लू–3 के रमेश कश्यप फूफा जी थे। पी.डब्लू–10 .... की सगी बडी बहन थी, तथा पी.डब्लू–12 .... की दूर के रिश्ते की बहन थी। संघ के सदस्यों के प्रभाव से मीडिया के इन वीडियोज को योजनाबद्ध तरीके से इस आशय से यू ट्यूब पर डाला गया जिससे यह मामला तूल पकड जाये और यह सब दर्शाया गया ही सत्य लगे और वास्तविकता छुप जाये, और दबा दी जाये। उस संघ के पदाधिकारी अध्यापक रमेश कश्यप, जो कि मुझे पूर्व में धमका रहे थे, और इनके साथी मुझे धमकाने वाले अध्यापक धर्मेन्द्र राठौर थे। व्हाइट्सऐप के उन ग्रुपों जिसमे मुझे जोडा गया था बच्चों का इस्तेमाल कर ऐसे–ऐसे संदेश भेजे गए जिनमें बच्चों को बयान कैसे देने हैं यह बतलाया गया और पोक्सो की संगीन धाराओं में एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु भडकाया गया वहीं 21.08.2018 को स्वतः संज्ञान व न्यायमित्र की भी जोरों से चर्चायें की गयी। इन व्हाइट्एप ग्रुप में विद्यालय की एल्युमिनाइज तथा वर्तमान छात्रों में .... व कई अन्य छात्र जुडे थे, तथा पूर्व में मुझे धमकाने वाले अध्यापक धमेद्र भी जुडे थे। मेरे जिस मोबाइल पर यह व्हाइट्सेप संदेश प्राप्त हुए थे वह मोबाइल भी मैंने न्यायालय में दाखिल करने हेतु न्यायालय अभिरक्षा में होने के कारण अपने बडे भाई को सौंप दिया था। कुल मिलाकर यदि मैं 3 अप्रैल 2018 को बच्चों के रोष प्रकट करने पर यदि .... की रिकॉर्डिग मोबाइल रिकॉर्डर पर ना करता ना मैं इस विषय पर सर्व प्रथम निदेशक महोदया और प्रधानाचार्य महोदय को बताता तो मैं कभी भी संघ के इन सदस्यों की साजिशन किये गए षडयंत्र का शिकार ना बनता । मैं पूर्णता निर्दोष हूं । मैंने कोई घटना घटित नहीं की, ना ही मैंने किसी बच्ची के साथ कोई गलत काम किया।

71– अभियुक्त सुचित नारंग की ओर से बचाव साक्ष्य में अपने भाई सुमित नारंग को बतौर डी0डब्लू0–2 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि अभियुक्त सुचित नारंग मेरा भाई है। अभियुक्त ने अपना मोबाइल मुझे दिया था जो आज मैं न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा हूं, इस मोबाइल में किसी प्रकार की छेडछाड नहीं की गयी है। मेरे द्वारा एक मोबाइल रिकार्डर भी दाखिल किया जा रहा है, इसके साथ किसी प्रकार की

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

छेडछाड नहीं की गयी है। जो दस्तावेज मेरे आर.टी.आई द्वारा प्राप्त हुए है वह मैं मूल रूप से सूची के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, एक पैनड्राइव मूल रूप से दाखिल कर रहा हूं।

72– न्यायालय द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एंव पत्रावली पर उपलब्द्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया ।

73– अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि अभियुक्त सुचित नारंग ने अध्यापक होते हुए कई पीडिताओं का शारीरिक शोषण किया है एंव स्पष्ट रूप से एक पीडिता के प्राईवेट पार्ट में उंगली डाली है एंव इस प्रकार अभियुक्त सुचित नारंग ने ऐसा कार्य किया है जो धारा 376 भा0दं0सं0 एंव धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता बहस की गयी है कि किसी भी अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने विद्यार्थियों पर बुरी नजर रखे। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस की गयी है कि प्रस्तुत केस में अभियुक्त सुचित नांरग ने एक पीडिता के साथ नहीं बल्कि कई पीडिताओं के साथ छेडछाड भी की है एंव उनके साथ अनुचित बातचीत भी की है एंव अभियुक्त सुचित नारंग ने अश्लील छेडछाड कर पीडिताओं के साथ गुरूत्तर लैंगिक हमला किया है एंव पीडिताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है एंव अभियोजन ने अपना सम्पूर्ण केस साबित किया है । यह भी बहस करी गयी है कि जब पीडितायें जो अनुसुइया शर्मा पर विश्वास करती थीं तो अनुसुइया शर्मा का भी यह दायित्व था कि पीडिताओं की व्यथा स्कूल प्रशासन तथा पुलिस को बतातीं ।

74– इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि अभियुक्त सुचित नारंग एंव अभियुक्ता अनुसुइया प्रस्तुत केस में एक षडयन्त्र के तहत फंसाये गये हैं । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि सुचित नारंग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व ही दो पत्र जो प्रदर्श डी–1 दिनांक 25–05–2018 व प्रदर्श डी–2 दिनांक 17–8–2018 के रूप में साबित किये हैं उसमें स्पष्ट रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत करा दिया गया था कि रमेश कश्यप के यौन शोषण के कृत्य में उसे धमकी दी जा रही है कि उसे झूंठा फंसाया जा सकता है एंव 25–07–2018 को भी प्रार्थी को झूंठा फंसाने की कोशिश की गयी। न्यायालय अभियुक्त की

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त बहस से सहमत नहीं है क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रश्नगत स्कूल में अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा पीडिताओं का यौन शोषण किया जा रहा था एंव अभियुक्त सुचित नारंग को यह भय था कि उसके कारनामें पीडिता उजागर न कर दे एंव उसने एक रूप से अपना बचाव गठित करने के लिये उपरोक्त प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये जाने परिलक्षित होते हैं। यही नहीं यदि अभियुक्त सुचित नारंग, रमेश कश्यप के कथित यौन हिसां के मामले को उजागर कर रहा था तो वह उसके केस में गवाही दे सकता था जो अप्राकृतिक रूप से अभियुक्त सुचित नारंग ने नहीं दी है। यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिस समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी उस समय रमेश कश्यप जेल में बताया गया है तो यह सम्भव नहीं था कि वह जेल में रहते हुए पीडिताओं के साथ आपराधिक षडयन्त्र रचेगा एंव अभियुक्त सुचित नारंग को अनावश्यक रूप से फंसाने की चेष्टा करेगा ।

75– अभियुक्त सुचित नारंग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत केस में सर्वप्रथम आरोप पत्र पांच व्यक्तियों के विरूद्ध जांच कर सुचित नारंग, अनुसूइया शर्मा, अनुराधा डालमिया, तेजी कौर व पूर्णिमा शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि अनुराधा डालमिया द्वारा अपना तलबी आदेश एंव आरोप पत्र को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की जो आदेश दिनांक 08–11–2018 से स्वीकार की गयी । यह भी तर्क दिया गया कि तेजी कौर और पूर्णिमा द्वारा एक अलग से धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपरोक्त मामले को निरस्त करने हेतु याचिका प्रस्तुत की गयी जो अदम पैरवी में निरस्त हुई। प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण में एक विशेष सत्र परीक्षण राज्य बनाम तेजी कौर आदि भी है एंव न्यायालय द्वारा दोनों ही विशेष सत्र परीक्षणों, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 133/2018 व विशेष सत्र परीक्षण संख्या 100/2019 का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

76– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन ऐसा कोई भी तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तिगत सन्देह से परे साबित होते हों। सर्वप्रथम अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान धारा 376

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

भा0दं0सं0 एंव धारा 3/4 पोक्सो एक्ट पर आकर्षित किया गया । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि धारा 376 भा0दं0सं0 एंव धारा 3/4 पोक्सो एक्ट को यदि देखा जाए तो इनके तत्व समान ही हैं । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 से बलात्संग की परिभाषा परिवर्तित हुई एंव बलात्संग के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी पीडित के अन्तर्वस्त्र या शरीर में किसी अंग जैसे कि लिंग, मूत्र नली या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है तो उपरोक्त दशा में बलात्संग होगा एंव उपरोक्त दशा में प्रवेशन लैंगिक हमला होगा ।

77– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जिस विद्यालय में सम्बन्धित घटना हुई वह एक नेशनल इंस्टीट्यूट है एंव इससे पूर्व इसी विद्यालय के एक रमेश कश्यप द्वारा दो बच्चों के साथ यौन हिंसा किये जाने के सम्बन्ध में एक पूर्व में केस दर्ज हुआ एंव अभियुक्त सुचित नारंग एंव उपरोक्त रमेश कश्यप उपरोक्त इन्स्टीट्यूट में अध्यापक थे। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दो पीडित बच्चों द्वारा अभियुक्त सुचित नारंग को बताने के बाद सुचित नारंग के द्वारा विद्यालय को प्रस्तुत प्रकरण से अवगत कराया गया एंव बाद में अभियुक्त रमेश कश्यप के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में जो आंशिक जांच हुई थी उसमें अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा रमेश कश्यप के विरूद्ध बयान दिये गये। यह भी तर्क दिया गया है कि रमेश कश्यप तीन–चार महीने तक जेल में रहा । यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त इंस्टीट्यूट में दो यूनियन थे जिसमे रमेश कश्यप एक यूनियन में था एंव जब रमेश कश्यप के उपर बालक के साथ यौन हिंसा का मामला चला तो अभियुक्त सुचित नारंग पर दबाव डाला गया कि वह रमेश कश्यप के प्रकरण में पीडिता बच्चों का साथ न दे। अभियुक्त सुचित नारंग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि तत्पश्चात् उपरोक्त इंस्टीट्यूट के धर्मेन्द्र राठौर, रमेश कश्यप, शिवशंकर तथा यूनियन के पदाधिकारी जो अध्यापक थे एंव एक साक्षी/पीडिता/पी0डब्लू0–3 के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयन्त्र रचकर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सुचित नारंग एंव अन्य अभियुक्तगण को फंसाया है ।

78– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस गयी है कि प्रस्तुत मामले में सुचित नारंग निश्चित ही उपरोक्त इंस्टीट्यूट में एक अध्यापक था

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु आरोपी संख्या 2 अनुसूईया शर्मा प्रकरण होने के दिनांक पर वाईस प्रिंसिपल नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि तेजी कौर जो अन्यय सत्र परीक्षण में सह अभियुक्त है उसने मामले की मुख्य साक्षी/पीडिता पी0डब्लू0–1 को लखनऊ से अनाथ अवस्था में लाकर इसी इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया एंव इस प्रकरण की पीडिता/पी0डब्लू0–1 की गार्जियन थी।

79– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि रंजिश एक दोधारी तलवार है एंव यह किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत फंसाने का उद्देश्य हो सकती है । इस सन्र्दभ में विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय परविन्दर कौर उर्फ पी0पी0 कौर उर्फ सोनी बनाम पंजाब राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 283 वर्ष 2011 निर्णीत दिनांक 28–07–2020** पर विश्वास व्यक्त किया । न्यायालय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस से सहमत नहीं है क्योंकि अभियुक्त सुचित नारंग की कथित रंजिश जो रमेश कश्यप, धर्मेन्द्र राठौर या शिवशंकर से बतायी गयी है न कि पीडिताओं के साथ।

80– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि प्रस्तुत केस में पोक्सो एक्ट के तत्व एंव विशेषतयाः धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के तत्व सिद्ध नहीं हुए हैं । इस सन्र्दभ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय प्रलाभ बनाम राजस्थान राज्य क्रिमिनल अपील 1794–1796 वर्ष 2017 निर्णीत दिनांक 14–11–2018** पर विश्वास व्यक्त किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था । प्रस्तुत केस में ऐसा नही है एंव पीडिता ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त सुचित नारंग ने अपनी गोद में बिठाकर प्राईवेट पार्ट (योनि) में उंगली डालते थे एंव यह भी कहा है कि अभियुक्त सुचित नारंग ने मुझे गोद में बिठाकर मेरे लोअर पार्ट को कभी अपर पार्ट को टच करते थे एंव उन्होंने मेरे प्राईवेट पार्ट पर उंगली डाली थी ।

81– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि गवाह की प्रवृत्ति पर भी कि जहां पर अपना बयान बदलने की हो तो इस सन्र्दभ में न्यायालय को उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये। यह भी तर्क दिया गया है कि पीडिता पी0डब्लू0–1 ने उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण में अलग–अलग बयान दिये हैं एंव उपरोक्त तथ्य पी0डब्लू0–1

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

पीडिता की गवाही पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि बदला एक दुधारी तलवार है एंव रमेश कश्यप की बदले की कार्यवाही किये जाने के कारण अभियुक्त सुचित नारंग को प्रस्तुत प्रकरण में फंसाया गया है। अभियुक्त सुचित नारंग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जब रमेश कश्यप का प्रकरण उठा तो उसने इसके बाद दिनांक 25–05–2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र लिखा कि रमेश कश्यप का प्रकरण उठने के कारण उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है जो स्वंय अभियुक्त सुचित नारंग ने डी0डब्लू0–1 के रूप में सिद्ध किया। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18–08–2018 को दर्ज करने से एक दिन पूर्व ही अभियुक्त सुचित नारंग ने इस आशय का प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया कि रमेश कश्यप के जेल में जाने के बाद कुछ अध्यापक मेरे विरूद्ध आपराधिक षडयन्त्र कर रहे हैं एंव उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए ।

82– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि एक कविता शर्मा द्वारा थानाध्यक्ष, राजपुर को तहरीर निश्चित ही दी गयी एंव उपरोक्त कविता शर्मा पी0डब्लू0–8 के रूप में न्यायालय में उपस्थित आयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि निश्चित ही कविता शर्मा द्वारा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिलाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से उन्हें कहा गया कि आप वहां पर जाकर जांच कीजिये परन्तु उपरोक्त कविता शर्मा को कहीं भी आंशिक जांच में पीडिताओं के बयान लेने का हक प्राप्त नहीं था एंव इस मुकद्दमे की वादिनी द्वारा जो प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–9 पीडिताओं के बयान सिद्ध किये हैं, वह नियमित रूप से सिद्ध नहीं माने जा सकते क्योंकि कई साक्षियों का साक्ष्य पी0डब्लू0–8 वादिनी कविता शर्मा के साक्ष्य के पूर्व योजित हो गया था एंव इस प्रकार अभियुक्तगण को साक्षियों से प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–9 पर प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिला । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कविता शर्मा पी0डब्लू0–8 ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पीडितों के बयान दर्ज किये जाते समय उसने बयानों की वीडियो रिकार्डिंग करी थी और विवेचक को दी थी परन्तु विवेचक ने

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

वीडियों रिकार्डिग को आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं की जो प्रस्तुत केस में अनियमितता है एंव उपरोक्त वीडियोग्राफी देखकर न्यायालय स्पष्ट रूप से कह सकता था कि कथित पीडितायें सच्ची गवाही दे रही हैं या नहीं । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि धारा 164 सीआरपीसी के बयान स्वयं में साक्ष्य नहीं हैं एंव उपरोक्त बयान किसी भी साक्षी के बयान की पुष्टि करने के लिये प्रयोग में लाये जा सकते हैं ।

83– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि जो जांच निष्पक्ष रूप से न की गयी हो तो वहां पर न्याय भी नहीं हो सकता । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि न्यायालय का कार्य सत्य तक पहुंचना है । इस सन्र्दभ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय अंकुश मारूति शिन्दे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020) सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 315** पर विश्वास व्यक्त किया। न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रकरण में नहीं कहा जा सकता कि निष्पक्ष जांच न हुई हो । अवश्य ही विवेचना में अनियमितता है परन्तु उपरोक्त ऐसी कोई अनियमितता अभियुक्तगण नहीं दर्शा पाये हैं जो मूलभूत केस को प्रभावित करती हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त न्याय निर्णय उन तथ्यों पर आधारित है जब एक घर में रात के समय लूट व कत्ल होना अभियोजन केस था एंव पीडित व्यक्ति अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानते थे एंव अभियुक्तगण की शिनाख्तका विषय न्यायालय के समक्ष था। प्रस्तुत केस में एक विद्यालय में स्वाभाविक है कि पीडितायें स्पष्ट रूप से अभियुक्त को जानती थीं ।

84– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि स्वयं विवेचक के बयान एंव प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार विवेचक ने जानबूझ कर गलत विवेचना करी । इस सन्र्दभ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय सन्तोष प्रसाद उर्फ सन्तोष कुमार बनाम बिहार राज्य क्रिमिनल अपील 264 वर्ष 2020 निर्णीत दिनांक 14–01–2020** पर विश्वास व्यक्त किया । यंहा पर कहना महत्वपूर्ण होगा कि किसी भी पीडिता की अभियुक्त से कोई रंजिश या द्वैष अभियुक्तगण न्यायालय में लाने में असफल रहे हैं कि क्यों पीडितायें अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दे रही हैं । न्यायालय के मत में पीडितायें विश्वसनीय साक्षी हैं ।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

85– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जहां पर निष्पक्ष जांच न हुई हो एंव निष्पक्ष रूप से तथ्यों को एकत्रित न किया गया हो तो वहां पर न्याय नहीं हो सकता। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान धारा 161 सीआरपीसी के बयान की ओर आकर्षित किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 161 की उप धारा के अधीन किये गये किसी कथन अभिलेख, आडियो वीडियो रिकार्डिंग इलैक्ट्रानिक संसाधनों से किये जा सकते हैं एंव प्रस्तुत केस में वादिनी द्वारा पीडिता के बयान की वीडियो रिकार्डिंग की जानी आवश्यक थी । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि निश्चित ही पी0 डब्लू0–8 कविता शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जांच की और जांच के पेपर लेकर न्यायालय के पास आती है जिसके सन्र्दभ में प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–9 सिद्ध करती है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ओर आकर्षित किया गया एंव यह तर्क दिया गया है कि निश्चित ही प्रस्तुत केस में कथित पीडितायें अवयस्क हैं परन्तु यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि रमेश कश्यप के प्रकरण के बाद अभियुक्त सुचित नारंग के विरूद्ध एक जालसाजी के तहत प्रस्तुत प्रकरण लगाया गया।

86– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय अल्ताफ अहमद उर्फ राहुल बनाम स्टेट आफ एन0सी0टी0आफ दिल्ली क्रिमिनल अपील 474/2020 निर्णीत दिनांक 03–12–2020** पर विश्वास व्यक्त किया गया । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दियागया कि न्यायालय ने पीडिताओं की साक्ष्य देने में सक्षमता या असक्षमता न्यायालय में साक्ष्य के समय नहीं ली है । न्यायालय के मत में पीडितायें कुछ देखने में असमर्थ हैं एंव कुछ आंशिक रूप से देखने में असमर्थ हैं । सभी पीडिताओं से विस्तृत जिरह की गयी है एंव वह साक्ष्य में अडिग रही हैं इस लिये पीडिताओं के साक्ष्य देने की असक्षमता पर उंगली उठाना पीडिताओं के साथ अन्याय होगा। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि जहां अवयस्क पीडिता के बयान पढाये व समझाये जाने से न दर्शित होते हो तो न्यायालय ऐसे बयानों पर विश्वास कर सकता है ।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

87– सर्वप्रथम यहां मुख्य पीडिता के बयान का अवलोकन किया जाना आवश्यक है । मुख्य पीडिता पी0 डब्लू0–1 के रूप में न्यायालय में उपस्थित आयी एंव उसने स्पष्ट रूप से साक्ष्य में कहा कि मैं बिल्कुल देख नहीं सकती एंव यह घटना वर्ष 2016 से हो रही है । मेरे स्कूल में एक टीचर सुचित नांरग थे जो लंच में **मुझे अपने कमरे में बुलाते थे वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे, मुझे गोद में बिठाकर कभी मेरे लोअर पार्ट को कभी अपर पार्ट को टच करते थे। उन्होंने मेरे प्राईवेट पार्ट पर उंगली डाली थी।**

88– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उपरोक्त साक्षी प्राईवेट पार्ट को समझाने में न्यायालय में असमर्थ है क्योंकि उपरोक्त साक्षी के बयान धारा 164 सीआरपीसी को देखा जाए तो सम्बन्धित मजिस्ट्रेट ने प्राईवेट पार्ट " योनि " में उंगली डालने का उल्लेख किया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पीडिता ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में "योनि" शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो इस लिये प्रस्तुत केस प्रवेशन लैंगिक हमले के अन्तर्गत नहीं आता । न्यायालय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रस्तुत केस में मुख्य पीडिता केवल 13 वर्ष की है एंव जिस समय मुख्य पीडिता के साथ अभियुक्त द्वारा दुराचार किया जा रहा था, वह वर्ष 2016 से किया जा रहा था एंव स्पष्ट रूप से पीडिता ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अपने धारा 164 सीआरपीसी के बयान की पुष्टि की है एंव पीडिता ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने उसके प्राईवेट पार्ट योनि में उंगली डाली है। अभियुक्त द्वारा मुख्य पीडिता/पी0डब्लू0–1 व अन्य पीडिताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एंव अश्लील छेडखानी की यह मुख्य पीडिता के साक्ष्य से आगे सिद्ध होगा जब पीडिता पी0डब्लू0–1 ने कहा कि अभियुक्त कहता था कि **जब तुम 20साल की हो जाओगी मैं तुमसे शादी करूंगा वो मेरे कपडे उठाकर गुदगुदी करते थे।** वो बोलते थे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो तुम मेरी गोद में सो जाओ। मैं तुम्हें कही पर टच कर सकता हूं। जब क्लास में कोई गलती होती थी सर मेरे हांथ को अजीब तरह से टच करते थे फिर पिंच करते थे। सर ने एक बार मेरे हांथ पर और दो बार गाल में किस किया ।

89– न्यायालय के मत में पीडिता ने न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी

Scanned with OKEN Scanner

के बयान की पुष्टि की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बयान मैंने मजिस्ट्रेट को दिया था और धारा 164 सीआरपीसी के बयान में पीडिता/ पी0डब्लू0–1 ने कहा है कि अभियुक्त सुचित नारंग पर मैंने कई बार हांथ हटाने की कोशिश की जब भी वह जबरदस्ती करता था। वह मेरे कपडे उपर उठाकर गुदगुदी करता था । जब मैंने अनुसूइया मैम को सूचित किया और शिकायत की तो उन्होंने हमें कहा कि वो सर को समझा देगी। मगर वो सर से कुछ नहीं कहती थी। पीडिता/ पी0डब्लू0–1 के जो 164 सीआरपीसी के बयान हुए और न्यायालय में जो बयान हुए उसमें कोई विरोधाभाष नहीं है।

90– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि मुख्य पीडिता पी0डब्लू0–1 अपनी जिरह में कहती है कि प्रस्तुत केस की अन्य साक्षी पी0डब्लू0–3 उसकी सहेली है। वह चौथी कक्षा में पढती है एंव पी0डब्लू0–3 के फूफा रमेश कश्यप हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पीडिता ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि धर्मेन्द्र सिंह राठौर व शिवशंकर अध्यापक को भी जानती है। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मुख्य पीडिता/पी0डब्लू0–1 ने जो मुख्यपरीक्षा व धारा 164 सीआरपीसी के बयान में कथन किये है एंव न्यायालय को यह दर्शित नहीं होता कि रमेश कश्यप, धर्मेन्द्र सिंह राठौर व शिव शंकर द्वारा रचे गये षडयन्त्र के अनुक्रम में पीडिता/ पी0डब्लू0–1 साक्ष्य देगी या मजिस्ट्रेट को बयान देगी। न्यायालय इस बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकता है क्योंकि प्रस्तुत मामले में एक पीडिता नहीं है बल्कि 10–11 पीडिताएं हैं एंव अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा मुख्य पीडिता/पी0डब्लू0–1 के साथ ही नहीं बल्कि हर पीडिता के साथ लैंगिक आशय से ही उनसे बात की गयी एंव उनके शरीरों को छुआ गया या अभद्र भाषा में वार्तालाप की गयी।

91– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि मुख्य पीडिता पी0डब्लू0–1 अप्राकृतिक रूप से अपनी जिरह में कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि रमेश कश्यप के विरूद्ध कोई यौन हिंसा का मुकद्मा चला हो । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उपरोक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से जिरह में स्वीकार किया कि पी0डब्लू0–8 कविता शर्मा उनके पढाई स्थल पर आयी थी परन्तु अप्राकृतिक रूप से पीडिता/ पी0डब्लू0–1 कहती है कि

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

"उन्होंने मुझसे कोई पूंछतांछ नहीं की। मुझे नहीं पता कि वीडियोग्राफी बनायी"। न्यायालय के मत में यहां पर यह कहना उल्लेखनीय हो जाएगा कि पीडिता/पी0डब्लू0–1 यदि एक स्तर पर कह जाती है कि वादिनी मुकद्मा द्वारा उनसे कोई पूंछतांछ नहीं की गयी तो इससे अन्य अभियोजन केस और अन्य पीडिताओं के बयान को नकारे जाने का कोई युक्तिगत आधार नहीं है ।

92– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि मुख्य पीडिता/पी0डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि इस मुकद्में की अन्य पीडिता पी0डब्लू0–11 व पी0डब्लू0–4 को भी जानती हूं । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि सभी पीडितायें पी0डब्लू0–2, पी0 डब्लू0–3, पी0 डब्लू0–4, पी0 डब्लू0–5, पी0 डब्लू0–6, पी0 डब्लू0–10, पी0 डब्लू0–11, पी0 डब्लू0–12, पी0 डब्लू0–17 व पी0 डब्लू0–18 न्यायालय में परीक्षित हुई उन सबसे पी0 डब्लू0–1 की अच्छी जान पहचान थी एंव मित्रता थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि इन पीडिताओं ने मुख्य अभियुक्त रमेश कश्यप के साथ षडयन्त्र रचकर विवेचक एंव न्यायालय में झूंठे बयान दिये हैं । न्यायालय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की इस बहस से सहमत नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे लैंगिक अपराध के सन्र्दभ में आपराधिक षडयन्त्र में शामिल होंगे, यह अभियुक्तगण का तर्क न्यायालय को युक्तिगत नहीं लगता है । न्यायालय के मत में धर्मेन्द्र सिंह राठौर, रमेश कश्यप व शिव शंकर आपस में अध्यापक होने के कारण एक आपराधिक षडयन्त्र रच सकते हैं परन्तु यह अस्वाभाविक है कि 10–11 पीडितायें जो बच्ची हैं जो अल्प अवस्था की हैं, वो भी आपराधिक षडयन्त्र में शामिल होंगी एंव इस बहस को किसी भी स्तर पर नहीं माना जा सकता। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि अभियुक्त सुचित नारंग बिल्कुल देख नहीं सकता है, यह पी0डब्लू0–1 ने भी जिरह में स्वीकार किया है। स्पष्ट रूप से पीडिता पी0.डब्लू0–1 का आचरण उसकी जिरह से भी दर्शित हो जाएगा कि वह स्वाभाविक साक्ष्य देना चाह रही है जब उसने कहा कि " अभियुक्त मुझे बेटी बोलता था परन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि वह मानता था या नहीं है "।

93– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पी0डब्लू0–1

Scanned with OKEN Scanner

झूंठी साक्षी है क्योंकि रमेश कश्यप के प्रकरण वाले मामले में दो पीडित बच्चे रहे हैं एंव मुख्य पीडिता ने एक बच्चे को जानने वाली बात जिरह में स्वीकार की है। न्यायालय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की इस बहस से सहमत नहीं है कि मात्र एक रमेश कश्यप वाले प्रकरण में एक पीडित बच्चे को जानने के कारण पीडिता/पी0डब्लू0–1 को झूंठा साक्ष्य देने के लिये उत्प्रेरित किया जा सकता है। न्यायालय के मत में उपरोक्त इंस्टीट्यूट इतना बडा इंस्टीट्यूट नहीं है एंव यदि पीडिता/ पी0डब्लू0–1 रमेश कश्यप के प्रकरण की एक पीडित को जानती हो तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

94– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जिन परिस्थितियों में पीडिता का साक्ष्य न्यायालय को विश्वसनीय न लगे तो उन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा धारा 29 पोक्सो एक्ट के सहारे से अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं कर सकती । इस सन्र्दभ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय गोतम चन्द्रकान्त खेरनर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022 एस0सी0सी0 ऑन लाईन BOM 1025** पर विश्वास व्यक्त किया। न्यायालय के मत में उपरोक्त न्याय निर्णय का लाभ अभियुक्तगण को नहीं मिल सकता क्योंकि अभियोजन द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य से अपना केस युक्तिगत सन्देह से परे साबित किया है ।

95– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त सुचित नारंग हॉस्टल में कभी नहीं रहा एंव पीडिता ने जिरह में स्वीकार किया कि याशना मैम मेरे विद्यालय में रोज आती हैं एंव पुष्पा थापा मुझे अपने घर से खाना लाकर खिलाती है परन्तु यह अप्राकृतिक है कि मुख्य पीडिता पी0 डब्लू0–1 उन दोनों को यह बात नहीं बताती है कि उसके साथ यौन हिंसा हुई है। न्यायालय अभियुक्त के विद्वान अधिवता के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि न्यायालय को बालकों के साक्ष्य का अवलोकन संवेदनशीलता से करना है। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पीडिता को यह सुझाव नहीं दिया गया कि पीडिता किसी के बहकावे में साक्ष्य दे रही है। पी0डब्लू0–1/ पीडिता को यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि पीडिता धर्मेन्द्र सिंह राठौर, रमेश कश्यप व शिवशंकर के साथ आपराधिक षडयन्त्र रचकर या उनके कहे

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार या उनके बहकावे में आकर न्यायालय में गवाही दे रही है ।

96– यहां पर यह कहना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब प्रस्तुत घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तो रमेश कश्यप को जेल में होना बताया गया है एंव यह स्वाभाविक नहीं है कि जब रमेश कश्यप जेल में हो तो किस प्रकार से कई पीडिताओं को अपने प्रभाव में लेकर प्रस्तुत अभियुक्तगण के विरूद्ध षडयन्त्र रच सकता है ।

97– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि प्रस्तुत केस में दोनों ही अभियुक्तगण ने धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अपना जवाबदावा दाखिल किया है एंव मुख्य अभियुक्त सुचित नारंग खुद डी0डब्लू0–1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है ।

98– यहां पर कहना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तुत केस में कई पीडिता पूर्णरूप से दृष्टिहीन हैं एंव कुछ आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। यहां पर कहना महत्वपूर्ण होगा कि यदि सुचित नांरग को किसी बात का पता था तो वह रमेश कश्यप के मामले में गवाही दे सकता था जो अप्राकृतिक रूप से अभियुक्त सुचित नारंग ने नहीं की है । अभियुक्तगण ने यह भी कहीं नहीं कहा है कि सुचित नारंग द्वारा रमेश कश्यप के प्रकरण में गवाही देना चाहता हो जिस कारण रमेश कश्यप अभियुक्त सुचित नारंग से नाराज होकर एक षडयन्त्र रचकर अभियुक्त सुचित नारंग व अभियुक्ता अनुसूइया को झूंठे केस में फंसायेगा।

99– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि मुख्य पीडिता पी0डब्लू0–1 ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा कि उसकी जन्म् तिथि क्या है। न्यायालय के मत में तेजी कौर द्वारा मुख्य पीडिता को लखनऊ से अनाथ अवस्था में प्रस्तुत विद्यालय में दाखिला कराने का अभियोजन केस है एंव जिसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

100– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जब प्रस्तुत घटना की मुख्य जांच अधिकारी उपरोक्त घटना के बारे में जांच करने आती है एंव प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–10 सिद्ध करती है तो अभियुक्तगण के अनुसार प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–10 में अभियुक्तगण को पीडिताओं से जिरह का अवसर नहीं मिला। यहां पर कहना उल्लेखनीय हो जाएगा कि

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

अभियोजन केस में कोई अनियमितता नहीं है क्योंकि पी0डब्लू0–8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि हमने उन 8 बच्चों को जिनकी बातों से उत्पीडन का आभास हो रहा था अलग ले जाकर बात की तथा उनके द्वारा बताये गये तथ्यों को स्वयं के लेख से लेखबद्ध किया। न्यायालय के मत में जांच अधिकारी अपनी जांच के दौरान लिये गये कथनों को लेखबद्ध कर सकते हैं ।

101– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पी0डब्लू0–8 ने जांच की एंव पी0डब्लू0–8 ने जिरह में स्वीकार किया कि जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी एंव जांच की कॉपी विवेचक को भी दी गयी थी परन्तु अप्राकृतिक रूप से उपरोक्त जांच रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत केस में इतनी बडी अनियमितता नहीं है कि सम्पूर्ण अभियोजन केस को नकारा जा सके। न्यायालय के मत में पी0डब्लू0–8 सम्बन्धित थाने में तहरीर दे रही होंगी तो अवश्य ही वह जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तहरीर दे रही होंगी एंव विवेचक द्वारा की गयी अनियमितता का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित न होगा। पी0डब्लू0–8 वादी मुकद्मा एक स्वाभाविक साक्षी है एंव उसने जिरह में भी कहा कि " मैंने बच्चों के बयान लेते समय कोई वीडियोग्राफी नहीं करायी " एंव यह कहना गलत है कि मैंने वीडियोग्राफी करायी हो और न्यायालय में न बता रही हूं। पी0डब्लू0–8 ने यह भी कहा कि "उसने पीडिताओं के बयान की ऑडियो रिकार्डिंग भी नहीं की थी "। यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यदि पीडिताओं के बयान एंव उनके धारा 164 सीआरपीसी के बयानों प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15 के कथनों में अन्तर्विरोध होता तो वह अभियुक्तगण के लिये सहायक सिद्ध हो सकता था परन्तु इस प्रकार का कोई मूल अन्तर्विरोध प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15 एंव पीडिताओं के बयान में नहीं आया है । पी0डब्लू0–8 के अनुसार उन्हें मजिस्ट्रेट की पॉवर नहीं है बल्कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत उन्हें जांच करने की उक्त शक्ति प्रदान की गयी है।

102– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी हो एंव प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज कराने का अभियोजन के पास कोई स्पष्टीकरण न हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिये। इस सन्दर्भ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय हरेन्द्रजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 5697 वर्ष 2019 निर्णीत दिनांक 11–04–2023** पर विश्वास व्यक्त किया। न्यायालय के मत में प्रस्तुत केस में पी0 डब्लू0–8 कविता शर्मा द्वारा जैसे ही उन्होंने पीडिताओं से पूंछतांछ की एंव तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी एंव इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई देरी नहीं हुई है।

103– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि जहां पर न्यायालय पीडिता को अविश्वसनीय साक्षी माने तो उक्त स्थिति में पीडिता के बयान पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये। इस सन्र्दभ में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय विमल सुरेश कामले बनाम चलुवेरापिनाके अमल (2003) सुप्रीम कोर्ट केसेज 175** पर विश्वास व्यक्त किया। न्यायालय के मत में प्रस्तुत केस में पीडिता विश्वसनीय साक्षी है एंव अभियुक्तगण उनकी जिरह से कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं ला पाये हैं कि वह किसी प्रलोभन में साक्ष्य दे रही है। यहां पर कहना न्यायोचित होगा कि सभी पीडिताओं से विस्तृत जिरह की गयी है एंव किसी भी पीडिता की अभियुक्तगण से कोई रंजिश या द्वैष नहीं है एंव न ही अभियुक्तगण यह दर्शा पाये हैं।

104– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि अभियोजन साक्ष्य में यह भी आएगा कि प्रस्तुत प्रकरण की विवेचक और रमेश कश्यप के प्रकरण के विवेचक एक साथ नियुक्त रहे हैं एव प्रस्तुत केस की विवेचना रमेश कश्यप के प्रकरण की विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए जानबूझ कर गलत की गयी है। यह भी बहस की गयी है कि तथ्य के सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कई पीडितों के द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के बयान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष किये गये परन्तु धारा 164 (5ए) सीआरपीसी का अनुपालन प्रस्तुत केस में नहीं हुआ । न्यायालय के मत में पीडिताओं ने स्वयं धारा 164 सीआरपीसी के बयान अंकित कराये हैं एंव बयान अंकित कराते समय किसी भी द्विभाषिया या विशेष प्रबोधक की सहायता नहीं ली है ।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

105– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि धारा 164(5) b के अन्तर्गत उपरोक्त बयान की जो ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग से होती वह धारा 137 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यपरीक्षा मानी जाती। न्यायालय के मत में कुछ पीडितायें दृष्टिबाधित अवश्य हैं परन्तु उन्होंने अपने बयान के समय किसी भी द्विभाषिया या विशेष प्रबोधक की सहायता नहीं ली है।

106– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि तथ्य के साक्षी/पीडितों के साक्ष्य का अवलोकन न्यायालय को गहनता से कहना चाहिये कि वह कहीं सिखाये पढाये एंव बहकाये हुए साक्षी न हों ।

107– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि जहां पर साक्षी बच्चे हों अर्थात नाबालिग हों तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं वे पढाये गये या सिखाये गये साक्षी न हों एंव यदि नाबालिग बच्चे न्यायालय में अत्यधिक विश्वसनीय साक्षी न लगें तो उन परिस्थितियों में नाबालिग बच्चों के साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्ष्य से भी की जानी चाहिये। इस सन्र्दभ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य 2023 एससीसी ऑन लाईन एससी 777** पर विश्वास व्यक्त किया। न्यायालय के मत में उक्त न्याय निर्णय का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित न होगा क्योंकि अभियुक्तगण के बचाव के अनुसार पीडित बच्चों को रमेश कश्यप के सिखाने पर साक्ष्य देना बताया गया है परन्तु जब पीडिताओं का बयान विवेचक ने लिया, उस समय रमेश कश्यप को अन्य मामले में जेल में होना बताया गया है एंव इस प्रकार पीडिताओं को सिखाने या पढाने का कोई अवसर नहीं था ।

108– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि यह अप्राकृतिक है कि जिस इंस्टीट्यूट में यौन उत्पीडन हुआ उसके किसी प्रवन्धक या कर्मचारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी एंव कोई बाहर का व्यक्ति आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है । न्यायालय के मत में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है एंव यदि पी0डब्लू0–8 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

109– अभियुक्त सुचित नारंग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया

Scanned with OKEN Scanner

है कि क्योंकि सम्बन्धित स्कूल की आन्तरिक जांच के अर्न्तगत अभियुक्त सुचित नारंग ने रमेश कश्यप के विरूद्ध बयान दिये थे, इस लिये आपराधिक षडयन्त्र के तहत सुचित नारंग को प्रस्तुत केस में फंसाया गया है ।

110– न्यायालय के मत में अवश्य ही सुचित नारंग ने मुख्य पीडिता पी0डब्लू0–1 की अल्प आयु होने के कारण शारीरिक शोषण करता था, यह तथ्य पी0डब्लू0–18 के साक्ष्य से भी सिद्ध होगा जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि "मैं थोडा देख लेती हूं । उस समय मैं कक्षा 8 में पढ रही थी । मुझे व मेरी सहेली को सुचित सर ने म्यूजिक रूम में हाउस प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। हम वहां दिन में 12–1 बजे के बीच गए थे। जब मैं और ..... वहां पर गए तो रूम बंद हो रखा था हमने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 5–6 सेकेण्ड के बाद दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अभियुक्त सुचित सर ने दरवाजा खोला तो हमने देखा कि वहां पर सुचित सर और एक लड़की/आरोप पत्र में वर्णित अर्थात मुख्य पीडिता साक्षी संख्या 01 है। वह एक कॉर्नर में खड़ी थी "।. पी0डब्लू0–18 ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह भी कहा कि फिर आठवां पीरियड जो कि म्यूजिक का था तो सुचित सर ने गर्ल्स को बोला मैं पीड़िता आरोप पत्र में वर्णित मुख्य पीडिता साक्षी संख्या 01 को अपनी बेटी की तरह मानता हूं। हमने उनसे कुछ पूंछा नहीं था उन्होंने खुद बताया था। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि अभियुक्त सुचित नारंग ने धारा 313 दं0प्र0सं0 में कथन किये हैं एक दिन जुलाई 2018 में हाउस प्रैक्टिस करवाने हेतु कुछ छात्राओं की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक मुख्य पीडिता ने आकर मुझको रोते रोते बताया कि उस पर कुछ अन्य छात्रायें दबाव बना रहीं हैं कि वो मेरे खिलाफ कुछ गलत बोले। जब वह मुझको यह सब बता रही थी तो किसी ने बाहर से दरवाजा का कुन्डा लगा दिया और मेरे खटखटाने पर थोडी देर बाद खोल भी दिया। न्यायालय को अभियुक्त उपरोक्त का स्पष्टीकरण अस्वाभाविक दर्शित होता है क्योंकि स्वयं सुचित नारंग ने धारा 313 सीआरपीसी के बयान में स्वीकार किया है कि एक दिन वह व पीडिता/पी0डब्लू0–1 अकेले रूम में थे। स्वयं पी0 डब्लू0–18 ने साक्ष्य में कहा कि दरवाजा खटखटाने के बाद अभियुक्त सुचित सर ने दरवाजा खोला। उपरोक्त प्रकरण में स्वयं अभियोजन केस की

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

पुष्टि होती है सुचित नारंग पीडिता/पी0डब्लू0–1 का शारीरिक शोषण कर रहा था।

111– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि अभियोजन को अपना केस पूर्णतयाः सिद्ध करना है एंव अभियुक्त को Preponderance of Probabilities के अन्तर्गत अपना बचाव साबित करना है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सन्र्दभ में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय एम0 अब्बास बनाम केरल राज्य (2001) 4 सुप्रीम 405** पर विश्वास व्यक्त किया। न्यायालय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस से सहमत है परन्तु अभियुक्तगण ने कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं दर्शायी है कि 10–11 नाबालिग पीडिताओं से अभियुक्त की क्या रंजिश थी ।

112– यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पीडितायें जिन्होंने न्यायालय में साक्ष्य दिया है, वह निश्चित ही आरोपित घटना के दिनांक पर अवयस्क थी एंव इस सन्र्दभ में न्यायालय में परीक्षित हुई सी0डब्लू0–1 ने पीडिताओं के सन्दर्भ में विभिन्न प्रपत्र न्यायालय में दाखिल करे हैं। यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिस समय सी0डब्लू0–1 का बयान हुआ उस समय काफी पीडितायें उपरोक्त स्कूल को छोड चुकी थीं। स्पष्ट रूप से सी0डब्लू0–1 ने आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 का मूल प्रमाणपत्र न्यायालय में लेकर आयी एंव उसी क्रम में उपरोक्त पीडिता की दसवीं की मार्कशीट भी लायी एंव स्पष्ट रूप से पीडिता आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 की जन्म् तिथि दिनांक 27–11–2006 सिद्ध करी अर्थात वह आरोपित घटना के समय करीब 12वर्ष की थी । यही नहीं मुख्य पीडिता आरोप पत्र में साक्षी संख्या 25 का जन्म् प्रमाणपत्र प्रदर्श सी–5 के रूप में सिद्ध किया जिसके अनुसार मुख्य पीडिता की जन्म् तिथि 03 मई 2005 है एंव मुख्य पीडिता की हाई स्कूल की मार्कशीट प्रदर्श सी–6 में उसकी जन्म् तिथि 03–05–2005 आयी है। इस प्रकार पीडिता आरोपित घटना के समय करीब 13वर्ष की थी । इसी प्रकार आरोप पत्र में साक्षी संख्या 22 की जन्म् तिथि एंव मार्कशीट प्रदर्श सी–7, प्रदर्श सी–8 के रूप में सिद्ध करी जिसमें पीडिता की जन्म् तिथि 04 जुलाई 2003 है अर्थात पीडिता आरोपित घटना के समय करीब 15 वर्ष की थी। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

होगा कि मुख्य पीडिता/पी0डब्लू0–1 तेजी कौर को लावारिस अवस्था में मिली और उसने ही मुख्य पीडिता का उपरोक्त स्कूल में प्रवेश कराया एंव अभियुक्तगण का कहना कि एडमीशन करते समय उसका एस0आर0 रजिस्टर अभियोजन ने साबित नहीं किया है एंव पीडिता के गार्जियन के हस्ताक्षर नहीं हैं, तर्क संगत दर्शित नही होते। साबित साक्ष्य को नकारे जाने का कोई युक्तिगत आधार न्यायालय के पास नहीं है अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18–08–2018 से पूर्व पीडितायें अवयस्क थीं। यही नहीं पीडिता संख्या ने अपने आपको कक्षा 8 में पढना बताया है। पी0डब्लू0–2 ने अपने आपको कक्षा 7 में पढना बताया हैं । पी0डब्लू0–4 ने अपने आपको कक्षा 12 में पढना बताया है। पी0डब्लू0–5 ने अपने आपको कक्षा 9 में पढना बताया है एंव पी0डब्लू0–10 ने अपने आपको कक्षा 9 में पढना बताया है एंव इसी प्रकार पी0डब्लू0–11 ने अपने आपको कक्षा 9 में पढना बताया है एंव पी0डब्लू0–12 ने अपने आपको कक्षा 11 में पढना बताया है। पीडिताओं की उपरोक्त कक्षाओं को देखकर न्यायालय को यही दर्शित होता है कि पीडितायें आरोपित घटना के दिनांक पर अवयस्क थीं एंव अभियुक्तगण ने भी पीडिताओं के अवयस्क न होने के सन्र्दभ में कोई बहस न्यायालय में नहीं की है।

113– पी0डब्लू0–2 ने भी स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में कहा है कि जनवरी, फरवरी 2018 में अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा उसका हांथ पकडकर रूम के अन्दर ले गया और उसकी फ्राक उठाकर गुदगुदी करने लगा। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि ज्यादातर पीडितायें अभियुक्ता अनुसुईया शर्मा पर विश्वास करती थीं एंव अधिकतर पीडिताओं ने अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा यौन शोषण किये जाने का कथन अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा के समक्ष किया जो अनुसुइया शर्मा ने देखते हुए भी नजरअन्दाज कर दिया। यद्यपि पी0डब्लू0–2 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि " रमेश कश्यप, पी0डब्लू0–3 के फूफा लगते हैं " परन्तु मात्र एक पीडिता के, रमेश कश्यप के फूफा होने से अभियोजन केस में क्या अनियमितता है, यह अभियुक्तगण स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि पी0डब्लू0–2 विश्वसनीय साक्षी नहीं है क्योंकि उसने साक्ष्य में कहा है कि " रमेश कश्यप के

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध धरना प्रदर्शन हुए थे या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे यह भी पता नहीं कि रमेश कश्यप के विरूद्ध मुकद्मा चला "। यहां पर कहना महत्वपूर्ण होगा कि अभियुक्तगण किस प्रकार से रमेश कश्यप के प्रकरण को प्रस्तुत प्रकरण से जोडना चाहते हैं। इस सन्र्दभ में न्यायालय पहले ही कह चुका है कि रमेश कश्यप का अलग मामला है एंव यह सम्भव नहीं है कि रमेश कश्यप जेल में रहते हुए किस प्रकार से पीडिताओं को प्रभावित कर सकता था। स्पष्ट रूप से पी0डब्लू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि " अभियुक्त सुचित नारंग हॉस्टल में नहीं थे, हम हॉस्टल के द्वितीय तल पर रहते हैं एंव मुख्य पीडिता पी0डब्लू0–1 कक्षा 8 में पढती है "। अवश्य ही अभियुक्त सुचित नारंग पीडिताओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करता था, यह पी0डब्लू0–2 की प्रतिपरीक्षा में आयेगा जब पी0 डब्लू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि " मेरी सहेली ने अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा दुर्व्यवहार करने वाली बात मुझे बतायी थी "।

114– यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले उपरोक्त स्कूल में धरना प्रदर्शन हो रहे थे एंव सभी बच्चों की एक मांग यह भी थी कि अभियुक्त सुचित नारंग को विद्यालय से हटाया जाए। उपरोक्त तीस सूत्रीय क्या मांग थी यह स्वयं अभियुक्त सुचित नारंग ने सूंची 175ख से दाखिल की है **जिसमें कागज संख्या 176ख/3 में संदर्भित किया गया है कि अभियुक्त सुचित नारंग को विद्यालय से हटाया जाए।** इस प्रकार निश्चित ही अभियुक्त सुचित नारंग के अनुचित व अभद्र व्यवहार के कारण पीडितायें व्यथित थी एंव **कागज संख्या 176ख/3 जो स्वयं अभियुक्त द्वारा दाखिल किया गया है उसमें प्रथम मांग अभियुक्त सुचित नारंग को विद्यालय से हटाये जाने की थी** अर्थात यह सम्भव नहीं है कि स्कूल के समस्त विद्यार्थी रमेश कश्यप के साथ आपराधिक षडयन्त्र करके अनावश्यक रूप से अभियुक्त सुचित नारंग को स्कूल से हटाने वाली बात क्यों कही है। पी0डब्लू0–3 ने भी स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यही कहा है कि जब वह कक्षा प्रथम में पढ रही थी तो सुचित सर के रूम में गयी पहले सुचित सर ने कुछ नहीं किया फिर मेरी फ्राक उठायी और गुदगुदी की। यद्यपि जिरह में उपरोक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि रमेश कश्यप मेरे फूफा हैं परन्तु एक पीडिता के रमेश कश्यप फूफा होने

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

के कारण समस्त अभियोजन केस को नहीं नकारा जा सकता ।

115– पी0डब्लू0–4 पीडिता ने भी अपने साक्ष्य में यही कहा है कि 31मार्च 2017 को जब हमारे पेपर खत्म हो गये थे। **मैं सुचित सर के पास बैठी थी तभी सुचित सर ने मेरी बांई जांघ पर बहुत जोर से पिंच किया तो मैंने उनको मना किया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा प्यार है।** अभियुक्त सुचित नांरग प्रभावशाली व्यक्ति था यह पीडिता की मुख्यपरीक्षा में आयेगा जब पीडिता ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता से कहा कि मैं डायरेक्टर मैडम का भाई हूं इस लिये कुछ नहीं होगा। स्पष्ट रूप से उपरोक्त साक्षी/पी0डब्लू0–4 ने यह भी कहा कि **हम लडकियां ग्रुप बनाकर अभियुक्ता अनुसुईया मैडम के पास अभियुक्त सुचित की शिकायत करने गये** तो उन्होंने कुछ नहीं किया जबकि अभियुक्ता अनुसुईया का यह दायित्व था कि वह इस सम्बन्ध में स्कूल प्रशासन को अवगत कराती या पुलिस में शिकायत करती। पी0डब्लू0–4 के साथ अवश्य ही यौन हिंसा की गयी, यह उसकी जिरह से परिलक्षित होगा जब उसने जिरह में कहा कि "मैं अनशन पर बैठी थी। विद्यालय में बाल समिति की अध्यक्ष कविता शर्मा हमसे पूंछतांछ करने आयी थीं "। स्पष्ट रूप से साक्षी ने जिरह में कहा कि " रमेश कश्यप के प्रकरण के पीडित को नहीं जानती थी "। उपरोक्त साक्षी ने जिरह में यह भी कहा कि " मुझे नहीं मालूम कि रमेश कश्यप के खिलाफ कोई मुकद्मा चला या नहीं क्योंकि मैं उस समय स्कूल में नहीं थी "। स्पष्ट रूप से तीस सूत्रीय मांग में एक मांग अभियुक्त सुचित नारंग को हटाने की थी जिसके सन्र्दभ में पीडिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्कूल प्रशासन को अपनी मांग की सूंची दे दी थी हमारी पूरी 30 मांगे थीं। उपरोक्त पीडिता ने जिरह में कहा कि " मेरे स्कूल में ..... नाम का लडका पढता था। मुझे नहीं मालूम कि ..... ने रमेश सर के विरूद्ध सुचित सर को कोई बात बतायी या नहीं। मुझे मालूम है कि रमेश सर एक मामले में जेल गये थे "। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि उपरोक्त पीडिता के स्कूल में योगा टीचर, महिला सीनियर टीचर हैं और महिला वार्डन भी है परन्तु अप्राकृतिक रूप से यह पीडिता उपरोक्त व्यक्तियों से शिकायत न करती। न्यायालय के मत में जितनी पीडितायें अनुसुईया शर्मा पर विश्वास करती थी तो

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

इसमें कोई अनियमितता नही है।

116– पीडिता पी0डब्लू0–5 ने भी अपने साक्ष्य में यही कहा है कि एक बार जब मैं चौथी क्लास में थी उस समय क्लास में सुचित सर बच्चों को गाना सुना रहे थे। फिर सुचित सर ने मुझे बुलाया और मेरे हांथ में किस किया। मैं हांथ छुडाकर चली गयी । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि यह पीडिता कक्षा 4 में पढती थी और वह चार साल पहले की बात न्यायालय में बता रही है । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अनुसार उपरोक्त तिथि पर अनुसुइया शर्मा वाईस प्रिसिंपल नहीं थीं। न्यायालय को पी0डब्लू0–5 विश्वसनीय साक्षी दर्शित होती है। उपरोक्त साक्षी ने भी जिरह में स्वीकार किया कि " वह रमेश कश्यप को जानती है, वह पी0डब्लू0–3 के फूफा हैं। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कविता शर्मा ने हमसे पूंछतांछ की थी "। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि कविता शर्मा ने पीडिताओं के बयान लेते समय उनकी वीडियो बनायी परन्तु पी0डब्लू0–8 कविता शर्मा जिन्होंने पीडिताओं के बयान लिये थे एंव तत्पश्चात् रिपोर्ट दर्ज करायी थी, उसने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि " मैंने बच्चों के बयान लेते समय कोई वीडियोग्राफी नहीं करायी थी "। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि पी0डब्लू0–5 अप्राकृतिक रूप से स्वीकार करती है कि " विद्यालय में काफी महिला टीचर हैं तथा एक योगा टीचर व वार्डन भी महिला है " परन्तु अप्राकृतिक रूप से पीडिता अनुसुइया शर्मा को ही शिकायत करती है । अभियोजन केस की पुष्टि पी0डब्लू0–5 की प्रतिपरीक्षा से भी होती है जब पी0डब्लू0–5 ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि " स्कूल में आन्दोलन के दौरान हमारी तीस मांगे थी उसमे एक मांग अभियुक्त सुचित का अभद्र व्यवहार था "। पी0डब्लू0–5 का जिरह में यह कहना कि मैनें घटना वाली बात किसी अन्य को नहीं बतायी केवल अनुसुईया मैडम को बतायी क्योंकि वह उस समय वाईस प्रिंसिपल थीं, इसमें कुछ अनियमितता नहीं है एंव न्यायालय के मत में यह स्कूल में सम्भव है कि पीडितायें अधिकतर रूप से से एक ही मैडम पर विश्वास करती हैं जो प्रस्तुत केस में अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा थी ।

117– पी0 डब्लू0–7 वह साक्षी है जिन्होनें मुख्य पीडिता का मेडिकल

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

किया एंव उन्होंने स्पष्ट रूप से साक्ष्य में यही कहा है कि पीडिता ने बताया था कि वह अपने विद्यालय में 2011 से रह रही है और उसके उपर लैंगिक हमला 2016 से बताया। **पीडिता द्वारा उंगली डालने के बारे में बताया गया था पीडिता द्वारा यह भी बताया गया था कि अभियुक्त सुचित नारंग उसके विद्यालय में अध्यापक है जो उसे लंच ब्रेक में बुलाता था व उस पर लैंगिक हमला करता था।** उपरोक्त साक्षी/पी0डब्लू0–7 का मूल यही है कि उसने पीडिता की जांच करने के उपरान्त पीडिता का हाईमन टार्न पाया।

118– पी0 डब्लू0–8 कविता शर्मा हैं जिन्होंने प्रस्तुत केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। उनकी मुख्यपरीक्षा का अवलोकन न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है एंव उन्होनें साक्ष्य में स्पष्ट कहा कि उन्होंने जांच जिलाधिकारी के मौखिक आदेश पर की थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गयी थी और जांच की कॉपी विवेचक को दी थी परन्तु वह जांच रिपोर्ट की कॉपी पत्रावली पर नहीं है। न्यायालय के मत में उपरोक्त साक्षी ने पीडिताओं के कथित रूप से दिये गये बयानों को प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है एंव प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना में की गयी अनियमितता का अभियुक्तगण को लाभ दिया जाना न्यायोचित न होगा । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि कविता शर्मा जब पहले विद्यालय में आयी तो उसने विद्यालय में कुछ नहीं पाया परन्तु बाद में किसी के द्वारा उसको फोन से सूचित किया गया कि बच्चों के साथ मारपीट हो रही है एंव यह मारपीट इसी कारण हो रही है कि रमेश कश्यप, धर्मेन्द्र राठौर व शिवकुमार ने पीडिताओं को डरा धमका रखा था एंव पीडिताओं को अपने अनुरूप बयान देने के लिये कह रहे थे। न्यायालय उपरोक्त बहस से सहमत नहीं है क्योंकि साक्ष्य में आ चुका है कि जब कविता शर्मा विद्यालय में जांच करने आयी तो विद्यार्थियों की 10मांगे थी एंव बाद में तीस मांगे थी एंव सभी मांगों में से एक अभियुक्त सुचित नारंग को हटाने की एक मांग थी। पी0डब्लू0–8 ने इस सुझाव को झुठलाया कि " मैंनें विवेचक को यह बयान दिया है कि मैनें मामले की वीडियोग्राफी की है और मैं उसे उपलब्द्ध करा सकती हूं "। पी0डब्लू0–8 ने जिरह में स्वीकार किया कि सभी

Scanned with OKEN Scanner

बयानों के नीचे बयान देने वालों का अंगूठा लगा है एंव पी0डब्लू0–8 ने इस सुझाव को झुठलाया कि मुख्य पीडिता के बयान पुलिस के दबाव में लिखे हों। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि उपरोक्त साक्षी जिरह में कहती है कि मुख्य पीडिता के अलावा सारे बच्चे जिनके बयान लिये थे मुझे सुनी सुनाई बातें कह रहे थे वे लोग सारे बच्चों का नाम नहीं बता रहे थे जिसके साथ मुख्य घटना हुई थी। न्यायालय के मत में पीडिताओं के विस्तृत बयान न्यायालय में आये हैं एंव पी0डब्लू0–8 के साक्ष्य का मूल यही है कि जब उन्हें यौन हिंसा की घटना विद्यालय में पता चली तो उन्होंने सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना उचित समझा एंव इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

119– पी0डब्लू0–10 एक अन्य पीडिता है जिन्होनें अपने साक्ष्य में यही कहा है कि एक दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने सुचित सर से कहा कि मैं दवाई लेने जाउं तब सुचित सर ने मेरा हांथ पकडा और मेरी नब्ज देखने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यह बात उन्होंने पूरी क्लास के सामने डबल मीनिंग के सेन्स में कही थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि पी0डब्लू0–10 हितबद्ध साक्षी है क्योंकि इस साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया कि पी0 डब्लू0–10 का भाई रमेश कश्यप के केस में एक गवाह था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि अभियुक्त सुचित नारंग देखने में समर्थवान नहीं है एवं पी0डब्लू0–10 का कहना कि सुचित सर ने कहा कि एक बार क्लास में एक लडकी पैर फैलाकर बैठी थी तब मैनें कहा कि मैं पैर के बीच में घुस जांउ एंव यह सम्भव नहीं है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे । पी0डब्लू0–10 ने भी जिरह में यही कहा है कि " मैं ..... नाम के छात्र को नहीं जानती थी । मैं यह जानती थी कि रमेश कश्यप के विरूद्ध यौन हिंसा का मुकद्मा चला था उस मामले में मेरा भाई भी गवाह था "। न्यायालय के मत में पी0डब्लू0–10 के भाई का रमेश कश्यप के मामले में गवाह होने से यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य सभी पीडितायें झूंठ बोल रही हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि उपरोक्त साक्षी भी जिरह में कहती है कि हमने अनुसुइया मैडम से

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

8वीं कक्षा में भी शिकायत की थी उसके बाद आन्दोलन से पहले भी अनुसुइया मैडम से शिकायत की थी। हमने आंठवीं कक्षा में अनुसुइया मैडम से अन्य लडकियों के साथ अभियुक्त द्वारा की गयी हरकतों की शिकायत की थी। अनुसुइया मैडम के अलावा किसी अन्य से शिकायत नहीं की क्योंकि वही वाईस प्रिंसिपल थी। न्यायालय के मत में जब पीडितायें अभियुक्ता अनुसुइया के उपर अत्यधिक विश्वास करती हों एंव इस सन्र्दभ में अभियोजन केस में कोई अनियमितता होना दर्शित नहीं होता है ।

120– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि पी0डब्लू0–11 ने यौन हिंसा के बारे में कोई कथन नहीं किया है एंव यही कथन किया है कि " एक दिन अभियुक्त सुचित नांरग हमें कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटर पढा रहे थे। अभियुक्त सुचित ने मुझे पहले कंधों पर बहुत टाईट से पकडा "। उपरोक्त साक्षी ने भी जिरह में यही कहा कि " घटना के समय मेरी क्लास में 20 बच्चे पढते थे। हम तीनों पीडितायें अलग–अलग रहती थीं तथा दिल्ली में अलग–अलग कॉलेज में पढते हैं। रमेश कश्यप हमें नहीं पढाते थे वह स्कूल में म्यूजिक टीचर थे "। अभियोजन केस की पुष्टि पी0डब्लू0–11 की जिरह से भी होती है जब पी0डब्लू0–11 ने जिरह में कहा कि " मैनें रमेश कश्यप के विरूद्ध यौन हिंसा के मुकद्में की बात सुनी थी परन्तु इससे मुझे कोई मतलब नहीं है "। उपरोक्त साक्षी ने आगे जिरह में कहा कि कक्षा 9 में मुझे अनुसुइया मैडम नहीं पढाती थीं। उस समय मुझे ज्योत्सना मैडम पढाती थीं। सुनीता मैडम नहीं पढाती थीं।

121– पी0डब्लू0–12 अन्य पीडिता है जिसकी मुख्यपरीक्षा का अवलोकन न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि पी0डब्लू0–12 एक पढाई, सिखाई साक्षी है एंव पी0 डब्लू0–12 का कहना है कि सुचित सर क्लास में लडकियों को जबरदस्ती छूने की कोशिश करते थे और क्लास में गन्दी–गन्दी बातें भी करते थे । एक दिन हम क्लास में बैठे हुए थे तो उन्होनें कहा कि एक स्टूडेन्ट अपनी टांगे चौडी करके बैठी थी तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी टांगों के बीच में घुस जाउंगा, यह नेत्रहीन व्यक्ति के लिये कहना सम्भव नहीं है। यहां पर यह कहना

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण होगा कि पी0डब्लू0–12 ने भी जिरह में यही कहा है कि " यह कहना सही है कि स्टूडेन्ड की टांगे चौडी करके बैठने वाली उपरोक्त बात मेरे सामने नहीं हुई थी स्वयं कहा कि अभियुक्त ने उपरोक्त बात हमसे शेयर की थी "। न्यायालय के मत में अभियुक्त सुचित नारंग अश्लील बातें कर रहे हैं एंव कह रहे हैं एंव स्कूल की अन्य लडकियों के साथ कर रहे हैं तो इससे अभियुक्त सुचित नारंग का मनोभाव दर्शित होता है। अभियोजन केस की पुष्टि पी0डब्लू0'–12 की जिरह से भी होती है जब उसने कहा कि " यह कहना सही है कि आन्दोलन के बाद हमने मामले की मुख्य पीडिता को हमने अपने साथ रखी थी क्योंकि वह डरी हुई थी। जब तक आन्दोलन हुआ था उसके एक हप्ते बाद तक रखा था "।

122– पी0डब्लू0–13 ने भी यही बयान दिया है कि दिनांक 21–09–2018 को मुख्य पीडिता पी0डब्लू0–1 को तेजी कौर अपने साथ ले गयी थी परन्तु जब तेजी कौर वापस नहीं लायी तो उसने तत्कालीन निदेशक, प्रधानाचार्य व सब इन्सपेक्टर को इसकी जानकारी दी। उपरोक्त साक्षी ने भी जिरह में स्वीकार किया कि " मुझे इस बात की जानकारी है कि रमेश कश्यप के खिलाफ यौन हिंसा का मुकद्मा चला था। मुझे जानकारी नहीं है कि रमेश कश्यप के खिलाफ शिकायत हाजिर अदालत अभियुक्त सुचित नारंग ने की हो। मुझे नहीं पता कि सुचित नारंग, रमेश कश्यप वाले मुकद्में में गवाह हो "। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यदि सुचित नारंग जब रमेश कश्यप के प्रकरण को जानता था तो वह रमेश कश्यप के केस मे गवाही दे सकता था परन्तु अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने रमेश कश्यप के प्रकरण में गवाही क्यों नहीं दी न ही सुचित नारंग ने स्पष्ट किया है कि कथित टेप रिकार्डिंग रमेश कश्यप के केस में क्यों नहीं दी

123– पी0डब्लू0–14 ने भी अपने साक्ष्य में यही कहा कि रमेश कश्यप के प्रकरण में रमेश कश्यप के उपर दो मेल छात्रों ने उत्पीडन का आरोप लगाया था एंव उन पर आपराधिक मुकद्मा भी चला था। उन्हें जून में गिरफ्तार किया गया था । उपरोक्त साक्षी ने जिरह में कहा कि रमेश कश्यप के द्वारा बच्चों के साथ किये गये यौन उत्पीडन की शिकायत बच्चों ने सीधे मुझसे की थी एंव इस

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

तथ्य को स्वीकार किया कि रमेश कश्यप के प्रकरण के बाद स्कूल में जांच हुई थी जिसमें छात्रों एंव अध्यापकों के बयान हुए थे। इस बात को भी स्वीकारा कि रमेश के प्रकरण की जानकारी समस्त छात्रों एंव अध्यापकों को थी। इस बात को भी स्वीकारा कि रमेश कश्यप के प्रकरण के दौरान पुलिस संस्थान में आयी थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि पी0डब्लू0–14 अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि " जुलाई 2018 में सुचित नारंग को मेरे द्वारा अपने कक्ष में बुलाया गया था और उनसे मैंने कहा था कि जब सब टीचर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं तो आप उनसे बात करने का प्रयास क्यों करते हो "। उपरोक्त तथ्य से न्यायालय को यह विदित होता है कि जब स्कूल के छात्र–छात्रायें सभी पीडितायें अभियुक्त सुचित नारंग को हटाने के लिये हडताल पर बैठी थीं तो निश्चित ही सभी पीडिताओं के साथ अश्लील छेडछाड की गयी एंव उन पर लैंगिक हमला किया गया ।

124– पी0डब्लू0–15 ने भी साक्ष्य में यही कहा है कि **बच्चों की हडताल थी। हडताल उन्होंने अपनी मांगो के सम्बन्ध में की थी। अभियुक्त के सम्बन्ध में भी मांग थी। अभियुक्त द्वारा बच्चों का शोषण उत्पीडन को लेकर भी बच्चों ने हडताल कर रखी थी।**

125– पी0डब्लू0–16 शशि कला ने भी यही साक्ष्य दिया है कि तेजी मैडम ने उन्हें बोला था कि बच्ची/पीडिता तनाव में है। मैं उसे एक घन्टे के लिये बाहर घुमाने ले जा रही हूं । किसी भी संरक्षक को अपने बच्चों को सीमित समय 1–2 घन्टे के लिये ले जाने की अनुमति होती है। उपरोक्त साक्षी ने हॉस्टल के मूल रजिस्टर प्रदर्श क–16 को सिद्ध किया है जिसके अनुसार मुख्य पीडिता को उसकी गार्जियन तेजी कौर बाहर ले गयी थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि एक सुनियोजित तरीके का षडयन्त्र रचा गया एंव मुख्य पीडिता को सीनियर छात्रों के पास ही रखा गया एंव यह तथ्य पी0डब्लू0–16 ने भी जिरह में स्वीकार किया है । न्यायालय को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बात तर्क संगत दर्शित नहीं होती ।

126– पी0डब्लू0–18 पीडिता ने भी अपने साक्ष्य में यही कथन किया है कि जुलाई 2018 की बात है मैं उस समय कक्षा 8 में पढ रही थी। मुझे व मेरी

Scanned with OKEN Scanner

सहेली ..... को सुचित सर ने म्यूजिक रूम में हाउस प्रैक्टिस के लिये बुलाया था । हम वहां दिन में 12–1 के बीच में गये थे। जब मैं और ..... वहां पर गये तो रूम बन्द हो रखा था। हमने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 5–6 सेकेन्ड के बाद दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अभियुक्त सुचित सर ने दरवाजा खेला तो हमने देखा कि सुचित सर और एक लडकी/ आरोप पत्र में वर्णित गवाह संख्या 25 न्यायालय में गवाह संख्या 1 थे। वह कार्नर में खडी थी। हमने उसे इग्नोर किया। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि उपरोक्त प्रकरण को स्वयं अभियुक्त ने अपने धारा 313 सीआरपीसी के बयान में एक प्रकार से स्वीकार किया है । न्यायालय के निष्कर्ष में अभियुक्त सुचित नारंग मुख्य पीडिता/पी0डब्लू0–1 को कमरे में बन्द कर उसके साथ यौन शोषण करता था । अभियोजन केस की पुष्टि उपरोक्त साक्षी से की गयी जिरह से भी होती है । जब पी0 डब्लू0–18 ने जिरह में कहा कि हमारे विद्यालय में अनियमितताओं को लेकर हडताल हुई थी। यह कहना भी सही है कि उक्त हडताल के बारे में हम लोगों से स्कूल द्वारा पूंछतांछ की गयी थी। मुझसे किसी भी पीडिता ने सुचित के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी।

127– पी0डब्लू0–19 भी यही साक्ष्य दिया है कि एक दिन पीडिता को तेजी कौर लेने आयी थी। पीडिता को ले जाने के बाद तेजी मैडम काफी देर तक नहीं आयी तो मैनें इस बात को ..... दीदी को बताया था। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक पी0डब्लू0–21 एक हितबद्ध साक्षी है और उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की। यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त विवेचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध पोक्सो एक्ट का आरोप लगा दिया परन्तु किसी भी बच्चे की जन्म् तिथि का जन्म प्रमाणपत्र की कोई भी विवेचना उपरोक्त विवेचक ने नहीं की। यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त विवेचक ने झूंठ बोला है कि उसे रमेश कश्यप के प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी एंव न्यायालय में जितने भी साक्षी/ पीडितायें प्रस्तुत की गयी हैं वह सभी पढाये सिखाये गये साक्षी हैं। यह भी बहस की गयी है कि रमेश कश्यप के प्रकरण में जो विवेचक थे, वही विवेचक विवेचक विनयता चौहान को प्रस्तुत केस में मदद कर रहे थे। यह भी बहस की गयी है कि पीडिताओं का तुरन्त मेडिकल नहीं हुआ एंव पीडिताओं की आयु निर्धारण के लिये कोई भी

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

मेडिकल नहीं हुआ एंव अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा ह्वाट्सएप मैसेज जो स्कूल में आपस में शेयर किये जाते थे उसकी प्रति कागज संख्या 191ख/38 लगायत 191ख/53 दाखिल की है एंव उपरोक्त मैसेज को देखकर यही दर्शित होता है कि अभियुक्त सुचित नारंग एंव अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा को एक सुनियोजित षडयन्त्र के तहत फंसाया गया। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि कागज संख्या 191ख/8 से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सूचना एस0आई0 उमेश कुमार द्वारा दी गयी कि रमेश कश्यप, धर्मेन्द्र कश्यप व शिवशंकर के विरूद्ध जो शिकायत कर रहे हैं तो इस सन्र्दभ में सुचित नारंग को समझा दिया गया है कि अभियुक्त रमेश कश्यप वर्तमान में जेल में बन्द है और वह ब्लाईन्ड व्यक्ति है फिर भी किसी प्रकार की धमकी का शिकार बनाया जाता है तो आप सम्बन्धित चौकी या थाने में शिकायत कर सकते हैं।

128– अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा कथित रूप से रमेश कश्यप के प्रकरण में मुख्य पीडित से हुई वार्तालाप कागज संख्या 191ख/31 लगायत 191ख/35 दाखिल की है । यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि यदि रमेश कश्यप के प्रकरण का अभियुक्त सुचित नारंग को पता था तो वह उक्त प्रकरण में गवाही दे सकता था जो अनुचित कारण से अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा नहीं किया गया। कथित ह्वाट्सएप मैसेज जो अभियुक्त द्वारा 191ख/38 लगायत 191ख/53 अभियुक्त द्वारा दाखिल किये गये हैं उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह सिद्ध नहीं है कि उपरोक्त भेजे गये मैसेज उन्हीं व्यक्तियों द्वारा भेजे गये जिनका कथन अभियुक्त सुचित नारंग कर रहा है। अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा जो रमेश कश्यप के सन्र्दभ में विद्यालय में आंतरिक जांच हुई उसके सन्र्दभ में 191ख/53 एंव उक्त प्रकरण के मुख्य पीडिता के बयान 191ख/55 लगायत 191ख/57 एंव रमेश कश्यप के प्रकरण में यौन शोषण की गयी शिकायत कागज संख्या 197/58 लगायत 191ख/61 दाखिल की हैं । न्यायालय के मत में अभियुक्त द्वारा किसी अन्य मुकद्में के सन्र्दभ में स्कूल में हुई जांच के सन्र्दभ में प्रपत्र दाखिल किये हैं परन्तु उपरोक्त प्रपत्र प्रस्तुत विशेष सत्र विचारण की विषय वस्तु नहीं हैं।

129– अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि अभियुक्त सुचित नारंग, रमेश कश्यप के प्रकरण का तहरीर लेखक नहीं है एंव

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

न ही उपरोक्त केस में उसने गवाही दी एंव यह भी बहस की गयी है कि यदि रमेश कश्यप की कोई रिश्तेदार सुचित नारंग के केस में पीडित थी तो अभियोजन उसको स्वाभाविक रूप से मुख्य पीडित बना सकता था एंव बढा चढा कर अपना केस प्रस्तुत कर सकता था जो अभियोजन ने प्रस्तुत केस में नहीं किया है।

130– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि जिस समय सुचित नारंग वाला मुकद्मा पंजीकृत हुआ, उस समय मुकद्मा केवल धारा 354ए भा0दं0सं0 एं0 धारा 9/10 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत हुआ था जो कि 7साल की सजा से प्रावधानित है एंव यह क्या कारण था कि विवेचक ने अभियुक्त सुचित नारंग को धारा 41ए सीआरपीसी का नोटिस न देकर दिनांक 23–01–2018, 29–01–2018, 07–09–2018 व 14–09–2018 को अभियुक्त सुचित नारंग के घर पर दविश दी है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह कानून का दुरूपयोग है। न्यायालय को अभियुक्त की उपरोक्त बहस तर्क संगत दर्शित होती है।

131– विवेचक पी0डब्लू0–21 ने भी साक्ष्य में यही कहा है कि पीडिताओं एंव अन्य छात्रों के धारा 161 व 164 के बयान के बाद धारा 376 भा0दं0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी एंव अनुसुइया शर्मा को धारा 21 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोपित बनाया गया। उपरोक्त साक्षी ने भी मुख्यपरीक्षा में कहा कि तेजी कौर जानबूझ कर मुख्य पीडिता को साथ ले गयी और जानबूझ कर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। स्पष्ट रूप से विवेचक ने कहा कि अभियुक्त सुचित नारंग ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एंव अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा को दिनांक 04–10–2018 को धारा 41ए सीआरपीसी का नोटिस दिया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उपरोक्त विवेचक झूंठ बोलती है क्योंकि जब रमेश कश्यप से सम्बन्धित प्रकरण में एस0आई0 उमेश कुमार विवेचना कर रहे हैं एंव विवेचक झूंठ बोल रही है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि रमेश कश्यप किसी यौन हिंसा के कारण कारागार में रहा या नहीं एंव विवेचक यह भी झूंठ बोल रही है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि रमेश कश्यप के मामले में एस0आई0 उमेश कुमार विवेचक रहे हों। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

विवेचक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि यौन हिसां के मुकद्में में सूचना प्राप्त होने के बाद विधि के अनुसार पीडिता का शीघ्र मेडिकल कराया जाना चाहिये परन्तु पीडिता का मेडिकल काफी देर के बाद कराया गया। उपरोक्त विवेचक ने जिरह में कहा कि " मेरी विवेचना के दौरान मेरी विवेचना में कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया कि ..... विद्यालय में सीनियर छात्र व जूनियर छात्रों के दो ग्रुप हों " एंव इस बात को भी स्वीकार किया कि उपरोक्त विद्यालय में " कुछ बच्चे पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हैं एंव कुछ बच्चे आंशिक रूप से दृष्टि बाधित हैं " एवं यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ..... के छात्रावास में नहीं रहता था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि उपरोक्त साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा विवेचना में अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा डायरेक्टर मैडम को लिखे गये दो पत्रों को अपनी विवेचना में शामिल किया था परन्तु उपरोक्त सन्र्दभ में कोई विवेचना नहीं की अर्थात उपरोक्त विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की और न ही सत्य तक जाने का प्रयास किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि विवेचक ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि ..... में जगह–जगह सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हैं उन कैमरों में हर जगह की घटना दर्ज होती है एंव सी0सी0टी0वी0 कैमरे में अभियुक्त सुचित नारंग के विरूद्ध कोई भी अनुचित कार्य करना नहीं आया है । उपरोक्त के सन्र्दभ में विवेचक ने कहा कि " मेरे द्वारा विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर हार्ड डिस्क और पावर एडाप्टर को सीएफएसएल भेजा गया था। स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया कि इन कैमरों का वैकअप एक माह का है जबकि घटनाक्रम एक महीने से ज्यादा का था, इस कारण मेरे द्वारा अवलोकन नहीं किया गया "। न्यायालय के मत में विवेचक ने भी अनियमितता विवेचना में की जो विवेचक ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि पीडिता के बयानों की वीडियो फिल्म नहीं बनायी गयी थी। विवेचक ने प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि मैंने पीडिता के बयान तीन बार अंकित किये। पीडिता के अन्तिम बयान इस आधार पर अंकित कराये गये थे कि उसकी गार्जियन उसे ऋषिकेश घुमाने लेकर गयी थी। **पीडिता ने पहले व दूसरे बयानों में उसके अभियुक्त द्वारा उसके प्राईवेट पार्ट में उंगली डालने वाली बात बतायी**

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

थी अर्थात पीडिता/पी0डब्लू0–1 ने न्यायालय में वही बयान दिये हैं जो उसने विवेचक को दिये थे। उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–21 ने इस सुझाव को झुठलाया कि उसने मुकद्में की स्पष्ट विवेचना न की हो। अभियुक्तगण आरोपित आरोप में सम्मिलित रहे, यह विवेचक की आगे प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट होगा जब विवेचक ने कहा कि यह कहना सही है कि अनुराधा डालमिया ने मुझसे बच्चों की दस मांगों के बारे में जिक्र किया था इनमें से एक मांग यह थी कि अभियुक्त सुचित नारंग का अभद्र व्यवहार होना था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि प्रस्तुत विवेचक को इस बात का पता था कि सुचित नारंग, रमेश कश्यप के प्रकरण में गवाह है जिस कारण विद्यालय के दो टीचर धर्मेन्द्र राठौर व शिवशंकर ने अभियुक्त सुचित नारंग से बात करना बन्द कर दिया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस की गयी है कि विवेचक के लिये यह आवश्यक था कि धर्मेन्द्र राठौर व शिवशंकर के बयान दर्ज करते ताकि सच्चाई सामने आ सकती ।

132– यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि स्वयं अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 315 सीआरपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के उपरान्त स्वयं को डी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है एंव उसकी मुख्यपरीक्षा का अवलोकन न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है जिसके अनुसार वह प्रश्नगत स्कूल में अध्यापक था और वहां पर संघ के अध्यापक धर्मेन्द्र राठौर एंव रमेश कश्यप संघ के पदाधिकारी थे। अभियुक्त सुचित नारंग के अनुसार वर्ष 2018 में रमेश कश्यप संगीत प्रतियोगिता हेतु एक टूर जयपुर लेकर गये थे एंव इस टूर में एक पीडित व्यक्ति भी गया था। डी0डब्लू0–1 के अनुसार दो अन्य छात्रों ..... ने उससे बोला कि ..... छात्र के साथ अभियुक्त रमेश कश्यप ने यौन शोषण किया है एंव उसने ..... छात्र के यौन दुराचार की कुछ ऑडियो रिर्काडिंग बनायी। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उपरोक्त आडियो रिकार्डिग अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा रमेश कश्यप वाले प्रकरण में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी न कि प्रस्तुत केस में। यह भी कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त आडियो रिकार्डिंग में ..... की ही आवाज है। डी0डब्लू0–1 के अनुसार उनकी लिखित शिकायत पर निदेशक के आदेश पर आन्तरिक जांच हुई एंव

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

कुछ दिनों बाद सह अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा ने भी उसे बताया कि उनके कार्यकाल में एक अन्य छात्र ..... ने भी रमेश कश्यप पर यौन दुराचार का आरोप लगा प्रशासन को उनकी शिकायत की थी इस जांच में रमेश कश्यप दोषी पाये गये । यहां पर पुनः कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अभियुक्त सुचित नारंग की रमेश कश्यप व धर्मेन्द्र राठौर या शिवशंकर से अनबन हो सकती है एंव वह उसे फंसाने का आपराधिक षडयन्त्र रच सकते हैं परन्तु यह सम्भव नहीं है कि समस्त स्कूल के छात्र–छात्रायें धरने पर बैठ जांए और अपनी लिखित मांग प्रस्तुत करें एंव लिखित मांगों में एक मांग अभियुक्त सुचित नारंग को विद्यालय से हटाने की हो ।

133– डी0डब्लू0–1 के साक्ष्य के अनुसार पी0डब्लू0–1 ने उसे स्वयं बताया कि पी0डब्लू0–10 व पी0डब्लू0–3 उस पर दबाव बना रहे हैं कि वह उनका कहा माने और जंहा–जहां वो कहें वैसा–वैसा वह बोले बदले में ऐसा करने से उसे ढेर सारी धनराशि दी जाएगी। यहां पर कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किसी भी अभियोजन साक्षी/पीडिताओं से यह सुझाव नहीं दिया गया कि वह ढेर सारी धनराशि प्राप्त करने के बाद या उसके प्रलोभन में झूंठी गवाही दे रही हैं। डी0डब्लू0–1 के साक्ष्य के अनुसार बाद में विद्यार्थियों ने संस्था को बन्द कर दिया था और साथ–साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया एंव उसके अनुसार अभियुक्त सुचित नारंग को पता चला कि यह सब संघ के सदस्यों द्वारा विद्यालय के पूर्व छात्रों के माध्यम से वर्तमान छोटे बडे छात्रों को प्रभावित कर व संचालित करके किया जा रहा था जिसके पीछे संघ के दो उद्देश्य से प्रतिषोध हेतु उन सभी से बदला लेना था जिनके कारण रमेश कश्यप की कार्यवाही हुई थी और दूसरा कारण सुचित नारंग को परेशानी में डाला जाना। डी0डब्लू0–1 के साक्ष्य के अनुसार पी0डब्लू0–10 ..... की बडी बहन थी एंव पी0डब्लू0–12..... की दूर की रिश्तेदार है। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिन दो पुरूष छात्रों के डी0डब्लू0–1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह पी0डब्लू0–10, पी0 डब्लू0–12 ..... रिश्तेदार हैं, उन्हीं दो पुरूष छात्रों ने कथित रूप से आरम्भ में सुचित नारंग से मदद मांगी थी एंव न्यायालय को अभियुक्त की बात युक्तिगत दर्शित नहीं होती कि जो पुरूष विद्यार्थी पहले स्वयं सुचित नारंग से सहायता मांग रहे हैं उनके रिश्तेदार

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

सुचित नारंग के विरूद्ध गवाही क्यों देंगे। यद्यपि सुचित नारंग द्वारा ह्वाट्सएप द्वारा किये गये सन्देश एंव मोबाइल न्यायालय में दाखिल किया गया है परन्तु यह साबित नहीं होता है कि वह सन्देश उन्हीं विद्यार्थियों ने भेजे हैं जिनके कथन अभियुक्त सुचित नारंग कर रहा है । यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि डी0 डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि कविता शर्मा जिन्होंने एफ0आई0आर0 दर्ज कराई वह विद्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं एंव यह सम्भव नहीं है कि एक निष्पक्ष व्यक्ति कथित रूप से रमेश कश्यप, धर्मेन्द्र राठौर व शिवकुमार के साथ आपराधिक षडयन्त्र रचकर गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगी। डी0डब्लू0–1 ने यह भी स्वीकार किया कि वह रमेश कश्यप के मामले में आरोप पत्र में गवाह नहीं है अर्थात यदि पुलिस को जानकारी होती कि सुचित नारंग को रमेश कश्यप के प्रकरण की जानकारी है तो वह उसे गवाह बना सकते थे। सुचित नारंग ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि विद्यार्थियों ने 16–08–2018 को प्रधानाचार्य को अपना प्रत्यावेदन दिया है जिसमें सुचित नारंग का विद्यार्थियों के प्रति अनुचित एंव अभद्र व्यवहार भी अंकित है एंव यह भी मांग की है कि अध्यापक सुचित नारंग को विद्यालय से हटाया जाए। अप्राकृतिक रूप से सुचित नारंग अपनी जिरह में कहता है कि " उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अनुराधा डालमिया को भी इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया था "। न्यायालय के मत में जहां सुचित नारंग अपना विस्तृत बयान दे रहा तो उसने झूंठ बोला है कि उसे जानकारी नहीं है कि अनुराधा डालमिया को इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया था। उपरोक्त परिचर्चा से न्यायालय को यही दर्शित होता है कि अभियुक्त सुचित नारंग ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं दर्शा पाया है कि क्यों पीडित बच्चों ने उसके विरूद्ध गवाही दी एंव न्यायालय धारा 29 पोक्सो एक्ट की अनदेखी नहीं कर सकती ।

134– डी0डब्लू0–2 सुमित नारंग द्वारा भी अभियुक्त की मोबाईल न्यायालय में प्रस्तुत की परन्तु उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि उपरोक्त दस्तावेज व डिवाईस मैंने आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिये थे और न ही डिववाईस मैंने किसी विशेषज्ञ से प्रमाणित करायी एंव मेरे सामने कोई डाटा

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड नहीं हुआ था । न्यायालय के मत में डी0डब्लू0–2 सुमित नारंग को प्रस्तुत प्रकरण का कुछ भी नहीं पता एंव वह किसी तथ्य का साक्षी न होने के कारण व अभियुक्त सुचित नारंग का भाई होने के कारण से एक हितबद्ध साक्षी दर्शित होता है ।

135– समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखकर न्यायालय के मत में अभियोजन ने अपना सम्पूर्ण केस सिद्ध किया है एंव अभियुक्त सुचित नारंग पर लगाया गया आरोप कि अभियुक्त ने दिनांक 18–08–2018 से पूर्व किसी समय, स्थान ..... बी0 एच0, राजपुर रोड, देहरादून, अन्तर्गत थाना राजपुर जिला देहरादून में नाबालिग पीडिताओं का जबरदस्ती बलात्कार कारित किया एंव पीडिताओं के साथ छेडछाड कर अभद्र व्यवहार किया एंव पीडिताओं के साथ जबरन बलात्संग कर उनके उपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया एंव नाबालिग पीडिताओं के साथ अश्लील छेडखानी कर उनके ऊपर गुरूत्तर लैंगिक हमला किया, पूर्णतयाः सिद्ध किये हैं । यही नहीं अभियोजन ने अभियुक्ता अनुसूइया शर्मा पर लगाये गये आरोप कि अभियुक्ता ने दिनांक 18–08–2018 से पूर्व किसी समय, स्थान ..... बी0 एच0 राजपुर रोड, देहरादून अन्तर्गत थाना राजपुर, जिला देहरादून में उक्त संस्थान में वाईस प्रिंसिपल कार्यरत होते हुए भी उसके द्वारा बालकों के प्रति हो रहे अपराध के सन्र्दभ में न तो प्रिंसिपल को सूचना दी गयी न ही पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गयी, पूर्णतयाः सिद्ध किये हैं । अभियुक्तगण कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं दर्शा पाये कि पीडितायें विश्वसनीय साक्षी न हों एंव पीडिताओं के बयान पर विश्वास न किया जा सके । अभियुक्तगण यह भी दर्शा नहीं पाये कि पीडिताओं ने सिखाने व पढाने के उपरान्त साक्ष्य दिया हो। अभियुक्तगण यह भी दर्शा नहीं पाये कि पीडिताओं का उनसे कोई द्वैष हो। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन ने 10–12 पीडितायें प्रस्तुत की हैं जो अलग–अलग कक्षाओं की विद्यार्थी हैं एंव उनमें आपस में कोई घनिष्टता नहीं है । यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि यदि अभियुक्त सुचित नारंग, रमेश कश्यप के प्रकरण में इच्छुक था तो वह उस प्रकरण में गवाही दे सकता था जो अप्राकृतिक रूप से उसने नहीं दी है। न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट नहीं है कि अभियुक्त सुचित नारंग, रमेश कश्यप के प्रकरण स्कूल प्रशासन के समक्ष उजागर कर रहा था इसलिये उसे प्रस्तुत

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

केस में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य जो किसी भी अध्यापक को शोभा नहीं देता एंव अभियुक्ता अनुसुईया का यह दायित्व था कि वह बालिकाओं के सन्र्दभ में या तो प्रिंसिपल को सूचना देती या पुलिस को सूचना देती।

136– उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तिगत सन्देह से परे अपना केस साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त सुचित नारंग उस पर लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 376, 354क भा0 दं0 सं0 व धारा 4 व धारा 10 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्ध किये जाने योग्य है । अभियोजन युक्तिगत सन्देह से परे अपना केस साबित करने में सफल रहा है एंव अभियोजन द्वारा अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा पर लगाया गया आरोप कि अभियुक्ता ने दिनांक 18–08–2018 से पूर्व किसी समय, स्थान ..... बी0 एच0 राजपुर रोड, देहरादून अन्तर्गत थाना राजपुर, जिला देहरादून में उक्त संस्थान में वाईस प्रिंसिपल कार्यरत होते हुए भी उसके द्वारा बालकों के प्रति हो रहे अपराध के सन्र्दभ में न तो प्रिंसिपल को सूचना दी गयी न ही पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गयी। अतः अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा उस पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 19/21 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त सुचित नांरग न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा जमानत पर है। अभियुक्ता अनुसुइया का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उसके जमानतनामें निरस्त कर उसके जमानतियों को जमानत के दायित्व से उनमोचित किया जाता है। अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो ।

दिनांक 30–01–2024

(पंकज तोमर)
अपर जिला एंव सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0 (पोक्सो)
देहरादून ।

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

<u>लंच बाद</u>
<u>दिनांक 30–01–2024</u>

137– पत्रावली लंच बाद प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गयी। अभियुक्त गण सुचित नारंग व अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा कथन किया गया कि वह पूर्णरूप से देखने में अक्षम है एंव उसने पीएचडी कर रखी है। यह भी कहा कि वह दो भाई हैं एंव वह छोटा है एंव उसके वृद्ध माता–पिता हैं। यह भी कहा कि उसको स्कूल से वेस्ट टीचर का एवार्ड मिला है एंव न ही उसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है एंव इससे पूर्व स्कूल में उसके विरूद्ध कोई शिकायत हुई। यह भी कहा कि दो–तीन बार अन्तरिम जमानत पर रिहा होने के उपरान्त उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है एंव विचारण में सहयोग किया है। अतः उसे कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

138– अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा द्वारा कथन किया गया कि वह वर्तमान में सेवानिवृत हो चुकी है और उनका समस्त सर्विस रिकार्ड अच्छा रहा है एंव सम्पूर्ण सर्विस के दौरान उसकी कोई शिकायत नही हुई एंव उसने प्रस्तुत सत्र परीक्षण में पूर्ण सहयोग किया है। अतः उसें कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा का यह दायत्वि था कि वह पीडिताओं के साथ हुए कथित अपराध को स्कूल प्रशासन या पुलिस को बता सकती थी जो उसने नहीं किया। समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों एंव अपराध की प्रकृति को देखते हुए एंव माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा **C R. A 69/18 प्रकाश शाह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य निर्णीत दिनांक 21–06–2023** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा को Probation of offenders Act,1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित न होगा।

139– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री किशोर कुमार द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया उक्त अपराध अत्यधिक गम्भीर प्रकृति का है। यह भी कहा कि पीडिता (मुख्य) देखने में अक्षम थी और अभियुक्त ने पीडिताओं एंव उनके परिवारजन का विश्वास तोडा है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिकतम सजा से दंण्डित किये जाने की प्रार्थना की

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

गयी।

140– उक्त सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सुचित नारंग के विरूद्ध धारा 376,354क भा0दं0सं0 व धारा 4 पोक्सो एक्ट व धारा 10 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गतं दण्डनीय अपराध के आरोप साबित हुए है।

141– यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 18–08–2018 से पूर्व में होना साबित हुआ है। भारतीय दंण्ड संहिता में संशोधन, क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 2018 दिनांक 21–04–2018 से प्रभावी है और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में संशोधन दिनांक 16–08–2019 से प्रभावी है। इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत मामले की घटना क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम 2018 में संशोधन होने से बाद की है। भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन होने के बाद धारा 376 भा0दं0सं0 के अपराध के अन्तर्गत कम से कम 10वर्ष के कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास से दण्ड का प्रावधान है एंव लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन दिनांक 16–08–2019 से पूर्व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत कम से कम 07वर्ष के कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास से दण्ड का प्रावधान था।

142– इस प्रकार प्रस्तुत मामले की घटना की तिथि व उक्त संशोधन के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कम से कम 10वर्ष (दस वर्ष) व अधिकतम आजीवन कारावास से दण्डनीय है व धारा 4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 07वर्ष (सात वर्ष) व अधिकतम आजीवन कारावास से दण्डनीय है। उक्त दोनों धाराओं में धारा 376 भा0 दं0 सं0 गुरूत्तर है। अतः अभियुक्त सुचित नारंग धारा 376 भा0दं0सं0 के अपराध के अन्तर्गत 20वर्ष (बीस वर्ष) के सश्रम कारावास की सजा तथा 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य है ।

143– अभियुक्त सूचित नारंग धारा 354क भा0दं0सं0 के अपराध के अन्तर्गत 6माह (छः माह) के सश्रम कारावास की सजा तथा 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) जुर्माने से दंण्डित किये जाने योग्य है ।

144– अभियुक्त सुचित नारंग धारा 10 पोक्सो एक्ट के अपराध के अन्तर्गत 5वर्ष (पांच वर्ष) के सश्रम कारावास की सजा तथा 5000/–रूपये (पांच

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

हजार रूपये) जुर्माने से दंण्डित किये जाने योग्य है ।

145– अभियुक्ता अुनसुइया शर्मा के विरूद्ध धारा 19/21 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप साबित हुए हैं।

146– अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा धारा 19/21 पोक्सो अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत 6माह (छः माह) के साधारण कारावास की सजा तथा 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) जुर्माने से दंण्डित किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

147– विशेष सत्र परीक्षण संख्या 100/2019 में अभियुक्त सुचित नारंग को धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 354क भा0 दं0 सं0 व धारा 10 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषी पाते हुए निम्नानुसार दंण्डित किया जाता है।

148– अभियुक्त सुचित नारंग को धारा 376 भा0 दं0 सं0 के अपराध के अन्तर्गत 20वर्ष (बीस वर्ष) के सश्रम कारावास व मुबलिग 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के जुर्माने से दंण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 3माह (तीन माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

149– अभियुक्त सुचित नारंग को धारा 354क भा0दं0सं0 के अपराध के अन्तर्गत 6माह (छः माह) के सश्रम कारावास व मुबलिग 5,000/–रूपये (पाच हजार रूपये) के जुर्माने से दंण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 5,000/–रूपये (पांच हजार रूपये) जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1माह (एक माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

150– अभियुक्त सुचित नारंग को धारा 10 पोक्सो एक्ट के अपराध के अन्तर्गत 5वर्ष (पांच वर्ष) के सश्रम कारावास व मुबलिग 5,000/–रूपये (पांच हजार रूपये) के जुर्माने से दंण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 5,000/–रूपये (पांच हजार रूपये) जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1माह (एक माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

151– विशेष सत्र परीक्षण संख्या 100/2019 में अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा को धारा 19/21 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषी पाते हुए

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

निम्नानुसार दंण्डित किया जाता है।

152– अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा को धारा 19/21 पोक्सो एक्ट के अपराध के अन्तर्गत 6माह (छः माह) के साधारण कारावास व मुबलिग 5,000/– रूपये (पांच हजार रूपये) के जुर्माने से दंण्डित किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा 5,000/–रूपये (पांच हजार रूपये) जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्ता को 1माह (एक माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

153– पीडिता पी0डब्लू0–1 को धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व उत्तराखण्ड में अपराध से पीडित योजना 2013/उत्तराखण्ड यौन अपराध एंव अन्य अपराधों से पीडित एवं उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 के तहत उचित प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत निर्णय की प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जाए ।

154– अभियुक्त सुचित नारंग की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

155– अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मामले में जेल में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाये।

156– अभियुक्ता अनु सुइया शर्मा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मामले में जेल में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाये।

157– अभियुक्तगण सुचित नारंग व अभियुक्ता अनुसुइया शर्मा का सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु अभियुक्तगण को जिला कारागार, देहरादून भेजा जाए।

158– निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांकः 30–01–2024

(पंकज तोमर)
अपर जिला एवं सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0 (पोक्सो),
देहरादून ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 30–01–2024

(पंकज तोमर)
अपर जिला एवं सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो),
देहरादून।

S S.T.NO. 100/2019

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

APPENDIX OF EVIDENCE

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः—

Rank	Name	Nature of Evidence
पी0डब्लू0—1	आरोप पत्र में क्रम संख्या 25 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—2	आरोप पत्र में क्रम संख्या 11 पर वर्णित साक्षी / पीडिता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—3	आरोप पत्र में क्रम संख्या 10 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—4	आरोप पत्र में क्रम संख्या 4 पर वर्णित साक्षी / पीडिता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—5	आरोप पत्र में क्रम संख्या 12 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—6	आरोप पत्र में क्रम संख्या 6 पर वर्णित साक्षी / पीडिता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—7	पीडिता की मेडिकलकर्ता डा0 प्रियंका	मेडिकल साक्षी
पी0डब्लू0—8	पूर्व अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति कविता शर्मा	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—9	कां0 80 मोहन सिंह	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0—10	आरोप पत्र में क्रम संख्या 2 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—11	आरोप पत्र में क्रम संख्या 3 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—12	आरोप पत्र में क्रम संख्या 5 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—13	अमित कुमार शर्मा	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—14	कमलवीर सिंह जग्गी	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—15	धर्मेन्द्र सिंह	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—16	शशि कला	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—17	आशा	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—18	आरोप पत्र में क्रम संख्या 8 पर वर्णित साक्षी / पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—19	आरोप पत्र में क्रम संख्या 24 पर वर्णित साक्षी	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0—20	एस0आई0 आरती कलूडा	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0—21	एस0आई0 विनयता चौहान	पुलिस साक्षी

बचावपक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया ।

Rank	Name	Nature of Evidence
डी0डब्लू0—1	स्वयं अभियुक्त सुचित नारंग	बचाव साक्षी
डी0डब्लू0—1	सुमित नारंग	बचाव साक्षी

अभियुक्त सुचित नारंग की ओर से अपने बचाव में सूंची 191ख से प्रपत्र 191ख/4 लगायत 191ख/64 व सूंची 171क से 171क/2 लगायत 171क/7 व सूंची 175ख से प्रपत्र 176ख/1 लगायत 176/44 दाखिल किये गये ।

न्यायालय साक्षी के रूप में पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो को परीक्षित कराया गया ।

Rank	Name	Nature of Evidence
सी0डब्लू0—1	पीडिताओं के स्कूल की स्टेनो	पीडिताओं की जन्म् तिथि से सम्बन्धित साक्षी

उक्त अभियोजन साक्षीगणों द्वारा निम्नलिखित अभियोजन दस्तावेजों व वस्तुओं को साबित किया गयाः—

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1/पी0डब्लू0 1	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
2.	प्रदर्श क–2/पी0डब्लू0 7	मेडिकल रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क–3/पी0डब्लू0 7	सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट
4.	प्रदर्श क–4/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
5.	प्रदर्श क–5/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
6.	प्रदर्श क–6/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
7.	प्रदर्श क–7/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
8.	प्रदर्श क–8/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
9.	प्रदर्श क–9/पी0डब्लू0 8	पीडिताओं के बयान
10.	प्रदर्श क–10/पी0डब्लू0 8	तहरीर
11.	प्रदर्श क–11/पी0डब्लू0 9	चिक एफ0आई0आर0
12.	प्रदर्श क–12/पी0डब्लू0 9	मुकद्मा कायमी जी0डी0
13.	प्रदर्श क–13/पी0डब्लू0 10	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
14.	प्रदर्श क–14/पी0डब्लू0 11	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
15.	प्रदर्श क–15/पी0डब्लू0 12	पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान
16.	प्रदर्श क–16/पी0डब्लू0 16	रजिस्टर की छायाप्रति
17.	प्रदर्श पी–17/पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित कराने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
18.	प्रदर्श पी–18/पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित कराने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
19.	प्रदर्श पी–19/पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानो का अवलोकन करने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
20.	प्रदर्श पी–20/पी0डब्लू0 21	पीड़िताओं के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानो का अवलोकन करने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
21.	प्रदर्श पी–21/पी0डब्लू0 21	नक्शा नजरी
22.	प्रदर्श पी–22/पी0डब्लू0 21	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र
23.	प्रदर्श पी–23/पी0डब्लू0 21	फर्द बावत कब्जे लेने डिजिटल वीडियो रिकार्डर
24.	प्रदर्श पी–24/पी0डब्लू0 21	एस.सी.आर.बी./डी.सी.आर.बी. को प्रेषित पत्र
25.	प्रदर्श पी–25/पी0डब्लू0 21	प्रमाणत्र
26.	प्रदर्श पी–26/पी0डब्लू0 21	फर्द कब्जे लेने सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर की हार्डडिस्क
27.	प्रदर्श पी–27/पी0डब्लू0 21	आरोप पत्र

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रदर्श को न्यायालय साक्षी सी0 डब्लू0–1 द्वारा साबित किया गया ।

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श सी–1/सी0डब्लू0 1	पीडिताओं के स्कूल के निदेशक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र
2.	प्रदर्श सी–2/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 के जन्म् प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
3.	प्रदर्श सी–3/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 की कक्षा 10वीं की मार्क्ससीट

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

		की प्रमाणित प्रति
4.	प्रदर्श सी–4/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 11 के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति
5.	प्रदर्श सी–5/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 25 के जन्म् प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
6.	प्रदर्श सी–6/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 25 की कक्षा 10वीं की मार्क्सशीट की प्रमाणित प्रति
7.	प्रदर्श सी–7/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 24 के जन्म् प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
8.	प्रदर्श सी–8/सी0डब्लू0 1	आरोप पत्र में साक्षी संख्या 24 की कक्षा 10वीं की मार्क्सशीट की प्रमाणित प्रति

बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया गया।

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श डी–1/डी0डब्लू0 1	अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को लिखा गया प्रार्थनापत्र दिनांक 25–05–2018
2.	प्रदर्श डी–2/डी0डब्लू0 1	अभियुक्त सुचित नारंग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा गया प्रार्थनापत्र दिनांक 17–08–2018

दिनांकः 30–01–2024

(पंकज तोमऱ)
अपर जिला एवं सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो)
देहरादून ।

S S.T.NO. 100/2019

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

S S.T.NO. 100/2019

Additional District & Sessions Judge/
F.T.S.C(POCSO)
Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner